रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1989/ज्येष्ठ 27, 1911
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1989/JYAISTHA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1989

सा. का. नि. 415.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित अनुसचिवीय, कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1961 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आशुलिपिक श्रेणी 3 समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल (राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आशुलिपिक श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षधर को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय, सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. आशुलिपिक श्रेणी-3	*सात (7) 1989 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय)	1200-30-1560-ई.बी.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक 1. मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. उप निदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (प्रशासन)—सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 11-12017/19/86—कार्मिक-1]

एस०डी० प्रदीप, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th May, 1989

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Police Training College (Non-Gazetted Ministerial Staff) Recruitment, 1961 in so far as they relate to the post of Junior Senographer except as respects things done or comited to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Stenographers Grade III in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hydrabad, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called to Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Stenographer Grade-III Recruitment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc. :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that these are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in written relax any of the provisions of these rules with respect to any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension), Rules 1972
1	2	3	4	5	6	7
Stenographer Grade-III	*Seven (7)	General Central Service Group	Rs. 1200-30-1560-EB-40-	Not applicable.	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants	No.

1	2	3	4	5	6	7
	(1989) *Subject to variation dependent on work-load.	'C' (Non-Gazetted) Ministerial	7040		upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for deptermining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (1) Matriculation or equivalent examination passed from a recognised Board/ University. (2) A speed of 80 words per minute in English Stenography.	Not applicable	two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Deputy Director (Administration) —Chairman 2. Assistant Director (Administration) —Member 3. Administrative Office —Member	Not applicable

[No. I-2017/19/86-Pers.-I]
S.D. PRADEEP, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1989

सा.का.नि. 416:—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की ज्येष्ठता प्रोन्नति और अधिवर्षिता नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नति और अधिवर्षिता) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नति और अधिवर्षिता) नियम, 1978 में :—

(1) नियम 5, 6 और 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे अर्थात्

"5. अधिकारियों की प्रोन्नति :—अधिकारियों की प्रोन्नति, ज्येष्ठता, का सम्यक् ध्यान रखते हुए गुणागुण के आधार पर की जाएगी।

6. प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता :—(1) सहायक समादेशक, जिसने कम से कम छह वर्ष सेवा कर ली है, उप समादेशक के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा।

(2) उप-समादेशक, जिसने कम से कम बारह वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है, द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में प्रोन्नति का पात्र होगा।

(3) द्वितीय कमान अधिकारी, जिसने कम से कम चौदह वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है जिसमें से कम से कम दो वर्ष द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में की गई सेवा है, समादेशक के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा।

(4) समादेशक, जिसने समादेशक के रैंक में कम से कम दो वर्ष की सेवा कर ली है और कम से कम सोलह वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है, समादेशक (चयन श्रेणी) के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा।

(5) समादेशक (चयन श्रेणी) जिसने कम से कम अठारह वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है, जिसमें से कम से कम दो वर्ष की समादेशक (चयन श्रेणी) के रूप में की गई सेवा है, अपर उप-महानिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा।

(6) अपर उप-महानिरीक्षक जिसने कम से कम बीस वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है, जिसमें से कम से कम दो वर्ष सेवा अपर उप-महानिरीक्षक के रैंक में होगी, उप-महानिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा :

परन्तु अपर उप महानिरीक्षक की प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उप-महानिरीक्षक के पदों का प्रतिशत पचास प्रतिशत होगा : परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उप-महानिरीक्षकों के पदों का चालीस प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाएगा, और उप-महानिरीक्षक के पदों का दस प्रतिशत सेवारत सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या सेना अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा भरा जाएगा।

(7) सीमा सुरक्षा बल काडर का उप-महानिरीक्षक जिसने कम से कम छब्बीस वर्ष समूह "क" सेवा कर ली है, जिसमें से कम से कम छह वर्ष की सेवा-उप-महानिरीक्षक के रैंक में होगी, महानिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति का पात्र होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उप-महानिरीक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले महानिरीक्षक के पदों का प्रतिशत सीमा सुरक्षा बल काडर के अधिकारियों से बीस प्रतिशत होगा और महानिरीक्षक के पदों का शेष अस्सी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा भरा जाएगा।

7. चयन करने के लिए समिति का गठन

(1) उप-समादेशक, द्वितीय कमान अधिकारी, समादेशक समादेशक (चयन श्रेणी) अपर उप-महानिरीक्षक और उप-महानिरीक्षक के रैंक में अधिकारियों का चयन करने के प्रयोजन के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :

(क) उप-समादेशक के रैंक के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :

(1) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—अध्यक्ष
(2) अपर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
(3) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे दो महानिरीक्षक जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं	—सदस्य
(4) उप सचिव (केन्द्रीय पुलिस संगठन) गृह मंत्रालय	—सदस्य
(5) उप निदेशक (कार्मिक) सीमा सुरक्षा बल	सदस्य-सचिव

(ख) द्वितीय कमान अधिकारी और समादेशक (सामन्य श्रेणी), समादेशक (चयन श्रेणी) और अपर उप-महानिरीक्षक के रैंक के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

(1) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—अध्यक्ष
(2) अपर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
(3) संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय	—सदस्य
(4) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे दो महानिरीक्षक जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं	—सदस्य
(5) उप निदेशक (कार्मिक) सीमा सुरक्षा बल	सदस्य-सचिव

(ग) उप महानिरीक्षक के रैंक के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति,

(1) सचिव, गृह मंत्रालय	—अध्यक्ष
(2) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
(3) महानिदेशक, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल असम राइफल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, जैसा विनिर्दिष्ट समय के लिए अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाए—	—सदस्य
(4) संयुक्त सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय	—सदस्य

(2) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति समिति के किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएगी, यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य ऐसे अधिवेशन में उपस्थित हों।

(2) नियम 11 के पश्चात निम्नलिखित अध्याय और नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :

"अध्याय 4

12. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह आदेश द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगी"।

[सं. I-45026/5/82-कार्मिक-II]

एम. के. अग्रवाल, उप सचिव

टिप्पणी : —मूल नियम सा.का.नि 1462 तारीख 9 दिसम्बर, 1978 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

New Delhi, the 31st May, 1989

G.S.R. 416.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Seniority promotion and superannuation of Officers) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force (Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Rules, 1978 :—

(i) for rules 5, 6 and 7, the following rules shall be substituted, namely :—

"5. Promotion of Officers :—The promotion of Officers shall be made on the basis of merit having due regard to seniority.

6. Eligibility of Officers for Promotion :—

(1) An Assistant Commandant, who has put in a minimum six years Group 'A' service, shall be eligible for promotion to the rank of Deputy Commandant.

(2) A Deputy Commandant, who has put in a minimum twelve years Group 'A' seraice, shall be eligible for promotion as Second-in-Command.

(3) A Second-in-Command, who has put in a minimum fourteen years Group 'A' service including atleast two years of which as a Second-in-Command, shall be eligible for promotion to the rank of commandant.

(4) A commandant,, who has put in a minimum of two years service in the rank of commandant and has put in a minimum sixteen years Group 'A' service, shall be eligible for promotion to the rank of commandant (Selection Grade).

(5) A Commandant (Selection Grade), who has put in a minimum of eighteen years Group 'A' service out of which a minimum of two years as a Commandant (Selection Grade), shall be eligible for promotion to the rank of Additional Deputy Inspector General.

(6) An Additional Deputy Inspector General who has put in a minimum twenty years Group 'A' service out of which atleast two years service shall be in the rank of Additional Deputy Inspector General, shall be eligible for promotion to the rank of Deputy Inspector General :

Provided that the percentage of the posts of Deputy Inspector General, to be filled in by promotion of Additional Deputy Inspector General shall be fifty per cent;

Provided further that forty per cent of the posts of Deputy Inspector General shall be filled by transfer on deputation of Indian Police Service Officers, and ten per cent of the posts of Deputy Inspector General shall be filled in by transfer on deputation of serving Army Officers or re-employment of Army Officers in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

(7) A Deputy Inspector General of Border Security Force Cadre, who has put in a minimum twenty-six years Group 'A' service out of which atleast six years service shall be in the rank of Deputy Inspector General, shall be eligible for promotion to the rank of Inspector General :

Provided that the percentage of posts of Inspector General to be filled in by promotion of Deputy Inspector General shall be twenty per cent from Border Security Force Cadre Officers and the remaining eighty per cent of posts of Inspector General shall be filled in by deputation or reemployment in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

7. Constitution of Committee to make selection :—(1) For the purpose of making selection of officers to the rank of Deputy Commandant, Second-in-Command, Commandant, Commandant (Selection Grade) and Additional Deputy Inspector General and Deputy Inspector General there shall be constituted departmental Promotion Committees, as under :—

(a) Departmental Promotion Committee for the rank of Deputy Commandant

(i) Director General, Border Security Force —Chairman

(ii) Additional Director General, Border Security Force —Member

(iii) Two Inspector General of Border Security Force as may be nominated by the Chairman —Member

(iv) Deputy Secretary (Central Police Organisation), Ministry of Home Affairs —Member

(v) Deputy Director (Personnel), Border Security Force —Member Secretary

(b) Department Promotion Committee for the rank of Second-in-Command and Commandant (Ordinary Grade), Commandant (Selection Grade) and Additional Deputy Inspector General.

(i) Director General, Border Security Force —Chairman

(ii) Additional Director General Border Security Force —Member

(iii) Joint Secretary (Police). Ministry of Home Affairs —Member

(iv) Two Inspector General of Border Security Force as may be nominated by the Chairman —Members

(v) Deputy Director (Personnel), Border Security Force —Member Secretary

(c) Departmental Promotion Committee for the rank of Deputy Inspector General.

(i) Secretary, Ministry of Home Affairs —Chairman

(ii) Director General, Border Security Force —Member

(iii) Director General, Central Reserve Police Force/Assam Refles/Indo-Tibetan Border Police as may be nominated by the Chairman for a specified time —Member

(iv) Joint Secretary (Police) Ministry of Home Affairs —Member

(2) The absence of any Members, other than the Chairman, shall not invalidate the proceedings of any meeting of the Committee, if more than one half of the members of the Committee attend such meeting." ;

(ii) after rule 11, the following chapter and rule shall be added, namely :—

'CHAPTER IV

12. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

[No. I-45026/5/82-Pers-II]
M. K. AGARWAL, Dy. Secy.

Note :—The Principal rules were notified vide No. GSR 1462 dated the 9th December, 1978.

(राजभाषा विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 मई, 1989

सा.का.नि. 417 :—भारत के राजपत्र दिनांक 6-8-88 के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड-1 में सं.सा.का. नि. 629 दिनांक 1-7-88 के द्वारा प्रकाशित राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के उप निदेशक (का.) सहायक निदेशक (का.) एवं अनुसंधान अधिकारी (का.) के पदों के भर्ती नियमों में निम्नलिखित शुद्धियां की जायेंगी।

सहायक निदेशक के पद के लिए भर्ती नियमों के दोनों क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी रूपान्तरों की अनुसूची के कालम सं. 10 के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नानुसार पढ़ी जायेंगी :—

अंग्रेजी रूपान्तर

Two years

हिंदी रूपान्तर

2 वर्ष

अनुसंधान अधिकारी के भर्ती नियमो के अंग्रेजी रूपान्तर की अनुसूची के कालम 12 के अन्तर्गत अंतिम पैराग्राफ की कोष्ठकस्थ प्रविष्टियां निम्नानुसार पढ़ी जायेंगी :—

Knowledge of (experience in implementing the Official Languages Act) Policy will be desirable qualification.

[सं. 12021/6/(2)/82-रा.भा. (ख-1)]

कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव

(Department of Official Language)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th May, 1989

G.S.R. 417.—In the Recruitment Rules for the posts of Deputy Director (Implementation), Assistant Director (Implementation), Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Offices of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, published vide No. GSR 629 dated the 1st July, 1988 in the Part II, Section 3, Sub-section (1) of the Gazette of India, dated the 6th August, 1988, the following correction shall be made, namely:—

1. The entry under Column 10 of the Schedule to the said Recruitment Rules both in English and Hindi version respectively for the posts of Assistant Director shall be read as under :—

English version

Two years

Hindi version

दो वर्ष

2. The entry within brackets in the last paragraph under column 12 of the schedule to the Recruitment Rules in its English version for the posts of Research Officer shall be read as under:—

Knowledge of/experience in implementing the Official Languages Act/Policy will be desirable qualification.

[No. 12021/6(2)/82-OL(B-I)]

K. C. SRIVASTAVA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1989

सा.का. नि. 418:—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छटा संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 की अनुसूची III "ख" में "राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान में (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित)" शीर्षक, प्रथम कालम में आने वाली "पश्चिम बंगाल" प्रविष्टि तथा दूसरे कालम में तदनुसूची प्रविष्टि के लिए :—

(क) "अपर जिला मजिस्ट्रेट" की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"अपर जिला मजिस्ट्रेट/बन्दोबस्त अधिकारी"

(ख) "बन्दोबस्त अधिकारी" की प्रविष्टि को विलोपित कर दिया जाएगा।

[संख्या 11031/2/88—अ. भा. से. (II)—ख]

टिप्पणी :—प्रधान नियमों को राजपत्र संख्या 158, दिनांक 16-9-1954 द्वारा प्रकाशित किया गया था। पश्चिम बंगाल के बारे में प्रधान नियमों की अनुसूची III को सा. का. नि. संख्या 374 ई, दिनांक 26-3-74, 425ई, दिनांक 25-6-76, 859 दिनांक 1-11-76, 655ई दिनांक 28-10-77, 952 दिनांक 29-7-78, 572ई दिनांक 7-10-80, 619ई दिनांक 20-10-82 18ई दिनांक 10-1-83, 49 दिनांक 19-1-85, 1141 दिनांक 14-12-85, 378 दिनांक 31-5-86 तथा 745 दिनांक 24-9-88 द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 22nd May, 1989

G.S.R. 418.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following rules, further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Sixth Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, in Schedule III-B "Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Government (including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale)", in the Table, for the entries "West Bengal" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column :—

(a) for the entry "Additional District Magistrate", the following entry shall be substituted, namely :

"Additional District Magistrate/Settlement Officer";

(b) the entry "Settlement Officer" shall be omitted.

[No. 11031/2/88-AIS(II)-B]

NOTES :

The Principal Rules were published vide Gazette of India No. 158 dated 16-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of West Bengal have been amended vide GSR Nos. 374(E) dated 26-3-74, 425(E) dated 25-6-76, 859(E) dated 1-11-76, 655(E) dated 28-10-77, 952 dated 29-7-78, 572(E) dated 710-80, 619(E) dated 20-10-82, 18(E) dated 10-1-83, 49 dated 19-1-85, 1141 dated 14-12-85, 378 dated 31-5-86 and 745 dated 24-9-88.

सा. का. नि. 419—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 1989 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का निर्धारण) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "गुजरात" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

संवर्ग का नाम	पदों का पदनाम	पदों की संख्या
"गुजरात"	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	120
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	प्रधान सचिव	1
	सरकार के मुख्य अपर सचिव	3
	सरकार के सचिव	18
	विकास आयुक्त	1
	उद्योग आयुक्त	1
	बिक्री कर आयुक्त	1
	विभागीय जांच आयुक्त	1
	बन्दोबस्त आयुक्त तथा निदेशक भूमि रिकार्ड	1
	भूमि सुधार आयुक्त	1
	प्रशिक्षण आयुक्त तथा निदेशक, सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान	1
	सदस्य, शहरी भूमि अधिकरण	1
	राज्यपाल के सचिव	1
	मुख्य मंत्री के सचिव	1
	सरकार के संयुक्त/उप सचिव	32
	समाहर्ता	19
	जिला विकास अधिकारी	19
	नगर पालिका निदेशक	1
	सहकारी समितियों के पंजीकार	1
	सहकारी समितियों के अतिरिक्त पंजीकार	1
	श्रम आयुक्त	1
	आयुक्त मनोरंजन कर	1
	निदेशक, कुटीर उद्योग	1
	निदेशक, यातायात	1
	निदेशक, मद्य निषेध तथा उत्पाद शुल्क	1
	निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण	1
	निदेशक, सिविल आपूर्ति	1
	निदेशक समाज कल्याण	1
	निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
	निदेशक, स्वास्थ्य	1
	अपर आयुक्त, उद्योग	1
	अपर विकास आयुक्त	2
	अपर बिक्री कर आयुक्त	1
		120
	2. उपर्युक्त 1 में 40 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	48
	3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8[1] के अंतर्गत पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33-1/2 % की दर पर	56
	4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर)	112
	5. उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर पर राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	49*
	6. उपर्युक्त मद 1 के 30% की दर पर कनिष्ठ पद, छुट्टी रिजर्व तथा प्रशिक्षण रिजर्व	36
	सीधी भर्ती वाले पद	197
	पदोन्नति वाले पद	56
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	253

*इनमें ऐसे 19 पद शामिल हैं जिन्हें तदर्थ आधार पर जोड़ा गया है।

[सं. 11031/15/88 – अ. भा. से. (II) – क]

टिप्पणी :—(1) मूल विनियम दिनांक 22-10-55 को सा.का. नि. सं. 3350 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। गुजरात संवर्ग से संबंधित विनियमों को बाद की निम्नलिखित सा. का. नि. सं. द्वारा संशोधित किया गया था :—

505	तारीख	29-4-60
979	"	27-8-60
226	"	21-2-62
163	"	2-2-63
435	"	14-3-64
1715	"	27-11-64
1275	"	4-9-65
1231	"	13-8-66
1116	"	29-767
308	"	8-3-75
1251	"	21-10-78
221ई	"	21-4-80
639	"	11-7-81
37	"	18-1-86 तथा
190	ग'	26-3-88

(ख) इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग की प्राधिकृत संवर्ग पद संख्या 245 थी।

G.S.R. 419.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publiaction in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Gujarat" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely :—

Name of the Cadre / Designation of posts	No. of posts
"Gujarat	
1. Senior posts under the State Government	120
Chief Secretary to Government	1
Principal Secretary	1
Additional Chief Secretary to Government	3
Secretary to Government	18
Development Commissioner	1
Industries Commissioner	1
Commissioner of Sales Tax	1
Commissioner of Departmental Inquiries	1
Settlement Commissioner & Director of Land Records	1
Commissioner of Land Reforms	1
Commissioner of Training-cum-Director, Sardar Patel Institute of Public Administration	1
Member, Urban Land Tribunal	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Joint/Deputy Secretary to Government	32
Collector	19
District Development Officer	19
Director of Municipalities	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Additional Registrar of Cooperative Societies	1
Commissioner of Labour	1
Commissioner, Entertainment Tax	1
Director Cottage Industries	1
Director of Transport	1
Director of Prohibitoin & Excise	1
Director of Employment and Training	1
Director of Civil Supplies	1
Director of Social Welfare	1
Director of Higher Education	1
Director of Food	1
Additional Commissioner of Industries	1
Additional Development Commissioner	2
Additional Commissioner of Sales Tax	1
	120
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above	48
3. Posts to be filled by promotion and Selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 at 33.3 per cent of 1 and 2 above	56
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1+2—3 above)	112
5. State Deputation Reserve at 25 per cent of item 1 above	49*
6. Junior Posts, Leave Reserve & Training Reserve at 30 per cent of item 1 above.	36
Direct Recruitment posts	197
Promotion posts	56
Total Authorised Strength	253

*Includes 19 posts allowed as ad-hoc increase.

[No. 11031/15/88-AIS(II)-A]

(1) The Principal Regulations were published in the Gazette vide SRO No. 3350 dated 22-10-55. The Regulations in respect of Gujarat Cadre have been amended vide GSR No. 505 dated 29-4-60, 979 dated 27-8-1960, 226 dated 24-12-1962, 163 dated 2-2-1963, 435 dated 14-3-1964, 1715 dated 27-11-1964, 1275 dated 4-9-1965, 1231 dated 13-8-66, 1116 dated 29-7-1967, 308 dated 8-3-1975, 1251 dated 21-10-1978, 221-E dated 21-4-1988, 639 dated 11-7-1981, 37 dated 18-1-1986 and 190 dated 26-3-88.

(2) Prior to issue of this notification, the authorised cadre strength of IAS cadre of Gujarat was 245.

1471 GI/89—2

सा. का. नि. 420.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में :—

(क) अनुसूची III—क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद सारणी "गुजरात के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टियों तथा दूसरे तथा तीसरे कालमों में तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

सवर्ग का नाम	पदनाम	वेतन वेतनमान
गुजरात	सरकार के मुख्य सचिव	रु. 8000—
	प्रधान सचिव	रु. 8000—
	सरकार के अपर मुख्य सचिव	रु. 7300-7600
	सरकार के सचिव	रु. 5900—6700
	विकास आयुक्त	रु. 5900—6700
	उद्योग आयुक्त	रु. 5900—6700
	बिक्री कर आयुक्त	रु. 5900—6700
	विभागीय जांच आयुक्त	रु. 5900—6700
	बंदोबस्त आयुक्त तथा निदेशक भूमि रिकार्ड	रु. 5900—6700
	भूमि सुधार आयुक्त	रु. 5900—6700
	प्रशिक्षण आयुक्त तथा निदेशक सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान	रु. 5900—6700
	सदस्य शहरी भूमि अधिकरण	रु. 5900—6700

(ख) अनुसूची III—ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय सेवा में वरिष्ठ समय वेतनमान वाले पद (जिसमें समय वेतन में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं) सारणी में "गुजरात" के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि तथा दूसरे कालम में तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"गुजरात" राज्यपाल के सचिव
मुख्य मंत्री के सचिव
सरकार के संयुक्त/उप सचिव
समाहर्ता
जिला विकास अधिकारी
निदेशक, नगर पालिका
सहकारी समितियों के पंजीयक
सहकारी समितियों के अतिरिक्त पंजीयक
श्रम आयुक्त
मनोरंजन कर आयुक्त
निदेशक कुटीर उद्योग
निदेशक यातायात
निदेशक मद्य निषेध तथा उत्पाद
रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशक
निदेशक सिविल आपूर्ति

निदेशक, समाज कल्याण
निदेशक, उच्चतर शिक्षा
खाद्य निदेशक
अपर उद्योग आयुक्त
अपर विकास आयुक्त
अपर बिक्री कर आयुक्त

[सं. 11031/15/88 - अ. भा. से. (II) - बी]

टिप्पण :- मूल नियमों को दिनांक 14-9-54 की गजट संख्या 158 द्वारा प्रकाशित किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग के संबंध में मूल नियमों की अनुसूची-III में निम्नलिखित सा. का. नि. संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया है :--

सा. का. नि.	309 दिनांक 8-3-1975
"	222ई दिनांक 21-4-1980
"	640 दिनांक 11-7-1981 तथा
"	38 दिनांक 18-1-1986

G.S.R. 420.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 1989 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule-III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments' in the Table, for the entry "Gujarat" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

Name of the Cadre	Designation of the post	Pay/scale of pay
Gujarat	Chief Secretary to Government	Rs. 8000.
	Principal Secretary	Rs. 8000.
	Additional Chief Secretary to Government	Rs. 7300—7600.
	Secretary to Government	Rs. 5900—6700.
	Development Commissioner	Rs. 5900—6700.
	Industries Commissioner	Rs. 5900—6700.
	Commissioner of Sales Tax	Rs. 5900—6700.
	Commissioner of Departmental Inquiries	Rs. 5900—6700.
	Settlement Commissioner and Direct of Land records.	Rs. 5900—6700.
	Commissioner of Land Reforms	Rs. 5900—6700.
	Commandar of Training-cum-Director, Sardar Patel Institute of Public Administration	Rs. 5900—6700.
	Member Urban Land Tribunal	Rs. 5900—6700.

(b) In 'Schedule-III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)' in the Table, for the entry "Gujarat" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"Gujarat
Secretary to Governor
Secretary to Chief Minister.
Joint/Deputy Secretary to Government.
Collector.
District Development Officer.
Director of Municipalities.
Registrar of Cooperative Societies.
Additional Registrar of Cooperative Societies.
Commissioner of Labour.
Commissioner, Entertainment Tax.
Director, Cottage Industries.
Director of Transport.
Director of Prohibition and Excise
Director of Employment and Training
Director of Civil Supplies.
Director of Social Welfare.
Director of Higher Education.
Director of Food.
Additional Commissioner of Industries.
Additional Development Commissioner.
Additional Commissioner of Sales Tax.

[No. 11031/15/88-AIS(II)-B]

The Principal rules were published vide Gazette No. 158 dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of Gujarat IAS Cadre was amended vide GSR Nos. 309 dated 8-3-1975, 222-E dated 21-4-1980, 640 dated 11-7-1981 and 38 dated 18-1-1986.

नई दिल्ली 24 मई, 1989

सा. का. नि. 421.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 1 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) पद संख्या का नियतन विनियमावली 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन छठा संशोधन विनियमावली, 1989 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"तमिलनाडु"

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	92
महानिदेशक और महानिरीक्षक पुलिस	1
निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक	1
पुलिस महानिरीक्षक (विधि तथा व्यवस्था)	1
पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)	1
पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	1
पुलिस आयुक्त	1

पुलिस उप महानिरीक्षक	9
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी. (आसूचना)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी. अपराध मद्रास	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रवर्तन - 1)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, सिविल पूर्ति, सी. आई. डी. मद्रास	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (सिविल अधिकार का संरक्षण)	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे	1
उप निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक, मद्रास	1
पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशासन), मद्रास	1
पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), मद्रास	1
नागरिक सुरक्षा निदेशक और उप महासमादेशक, होम गार्ड्स, मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक, जिला	21
पुलिस अधीक्षक, विल्लुपुरम	1
पुलिस अधीक्षक, डी. वी. ए. सी., मद्रास	3
पुलिस अधीक्षक, क्यू ब्रांच, सी. आई. डी., मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक (वाणिज्य अपराध संघ), सी. आई. डी.	1
पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. मद्रास	2
पुलिस अधीक्षक, सिविल पूर्ति, सी. आई. डी.	2
पुलिस अधीक्षक, सिविल पूर्ति, मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक, रेलवे	
पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, विशेष शाखा, सी. आई. डी. मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक, वन एकक, मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा-II, सी. आई. डी. मद्रास	1
पुलिस अधीक्षक, पासुंपान मुथुरालिंगम जिला, सिवगंगा	1
पुलिस अधीक्षक, अन्ना जिला, डिंडिगुल	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं	1
पुलिस सहायक महानिरीक्षक (प्रवर्तन)	1
पुलिस उपायुक्त, मद्रास	5
पुलिस उपायुक्त (मद्यनिषेध) मद्रास सिटी	1
पुलिस उपायुक्त, कानून और व्यवस्था, केन्द्रीय मद्रास सिटी	1
पुलिस उपायुक्त अपराध, गाउथ, मद्रास सिटी/पुलिस उपायुक्त, यातायात	1
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण कालेज	1
समादेशक, तमिलनाडु विशेष पुलिस बटालियन/संयुक्त पुलिस अधीक्षक	16
	92
2. उपयुक्त 1 के 40% के हिसाब से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	37
3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से	43
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 3 में से 3 घटाकर)	86
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 25 प्रतिशत के हिसाब से	23
6. छुट्टी रिजर्व, कनिष्ठ पद तथा प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 1 के 30 प्रतिशत के हिसाब से	28
सीधी भर्ती वाले पद	137
पदोन्नति वाले पद	43
कुल प्राधिकृत पद संख्या]	180

[सं. 11052/6/88-अ. भा. से. (II)-ए]

टिप्पणी : (1) इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व तमिलनाडु की भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) की कुल प्राधिकृत पद संख्या 156 थी।

(2) मुख्य विनियम दिनांक 22-10-55 को सा. का. नि. संख्या 335 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किये गये तथा बाद में सा.का.नि. संख्या 350ई, 1369, 252ई, 895, 344ई, 335, 1016 तथा 446 दिनांक 25-6-75, 25-9-76, 17-3-79, 6-9-80, 20-4-83, 31-3-84, 29-9-84 तथा 4-6-88 द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 24th May, 1989

G.S.R. 421.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading "Tamil Nadu" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

TAMIL NADU"

1. Senior posts under State Government	92
Director General of Police	1
Director, Vigilance and Anti-Corruption	1
Inspector General of Police (Law & Order)	1
Inspector General of Police (Crime)	1
Inspector General of Police (Intelligence)	1
Commissioner of Police	1
Deputy Inspector General of Police	9
Deputy Inspector General of Police CID, (Intelligence)	1
Deputy Inspector General of Police, CID, Crime, Madras	1
Deputy Inspector General of Police, Civil Supplies, CID, Madras	1
Deputy Inspector General of Police, (Protection of Civil Rights)	1
Deputy Inspector General of Police, Railways	1
Deputy Director, Vigilance and Anti-Corruption, Madras	1
Deputy Inspector General of Police, (Administration), Madras	1
Deputy Inspector General of Police, (Training), Madras	1
Director of Civil Defence & Deputy Commandant General, Home Guards, Madras	1
Superintendents of Police, Districts	21
Superintendents of Police, Villupuram,	

Police District	1
Superintendents of Police, DVAC, Madras	3
Superintendent of Police, Q Branch, CID, Madras	1
Superintendent of Police, (Commercial Crime Wing), CID	1
Superintendents of Police, CID, Madras	2
Superintendents of Police, Civil Supplies CID	2
Superintendents of Police, Civil Supplies, Hqrs.	1
Superintendents of Police, Railways	2
Superintendents of Police, Security, Special Branch CID, Madras	1
Superintendents of Police, Forest Cell, Madras	1
Superintendent of Police, Crime Branch-II, CID, Madras	1
Superintendents of Police, Pasumpon Muthuralingam District at Sivaganga	1
Superintendent of Police, Anna District, at Dindigul	1
Assistant Inspector General of Police	1
Assistant Inspector General of Police, Technical Services	1
Assistant Inspector General of Police, Enforcement-I	1
Deputy Commisioners of Police, Madras	5
Deputy Commissinoer of Police, Prohibition, Madras City	1
Deputy Commissioner of Police, Law & Order, Central Madras City	1
Deputy Commissioner of Police, Crime, South, Madras City/Deputy Commissioner (Traffic)	1
Principal, Police Training College	1
Commandants, Tamil Nadu Special Police Battalions/Joint Superintendents of Police	16
	92
2 Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	37
3. Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 9 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @33-1/3% of 1 and 2 above	43
4 Posts to be filled by Direct Recruitment, (1+2—3) above	86
5 Deputation Reserve @25% of 1 above	23
6 Leave Reserve, Junior Posts and Training Reserve @30% of 1 above	28
Direct Recruitment Posts	137
Promotion Posts	43
Total authorise strength	180

[No. 11052/6/88-AIS(II)-A]

NOTES :

(1) Prior to the issue of this notification, the total authorised strength of Tamil Nadu, IPS Cadre was 156.

(2) The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3351, dt. 22-10-55. These were subsequently amended vide GSR Nos. 350-E, 1369, 252-E, 895, 344-E, 335, 1016 and 446 dated 25-6-75, 25-9-76, 17-3-79, 6-9-80, 20-4-83, 31-3-84, 29-9-84 and 4-6-88 respectively.

सा.का.नि. 422:--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

(1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में :--

(क) अनुसूची III में, "क" शीर्षक के अधीन, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों, सारणी में पहले कालम में आने वाली प्रविष्टि "तमिलनाडु" तथा दूसरे और तीसरे कालम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

राज्य	पद के ब्यौरे	वेतन/वेतनमान
तमिलनाडु	पुलिस महानिदेशक	रु. 7600-8000/-
	निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी	रु. 5900-200-6700/-
	पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था)	--पयोपरि--
	पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)	--पयोपरि--
	पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना)	--पयोपरि--
	पुलिस आयुक्त	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस	रु. 5100-150-5400 (18वें वर्ष अथवा उसके बाद) 150-6150.
	उप महानिरीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (आसूचना)	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (क्राइम) मद्रास	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण-1	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस सिविल आपूर्ति, सी.आई.डी., मद्रास	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस (सिविल अधिकारों के संरक्षण)	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस, रेलवे	--पयोपरि--
	उप निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी, मद्रास	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रशासन) मद्रास	--पयोपरि--
	उप महानिरीक्षक पुलिस मद्रास (प्रशिक्षण)	--पयोपरि--
	सिविल रक्षा निदेशक एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल, होम गार्ड, मद्रास	--पयोपरि--

(ख) अनुसूची-III, में "ख" शीर्षक के अधीन, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समयमान में वेतन वाले पद जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं, सारणी में पहले कालम में आने वाली प्रविष्टि "तमिलनाडु" तथा दूसरे कालम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

राज्य	पदों के ब्यौरे
तमिलनाडु	पुलिस अधीक्षक, जिला
	पुलिस अधीक्षक, विलुपुरम, पुलिस जिला
	पुलिस अधीक्षक, डी.वी.ए. सी, मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, क्यू ब्रान्च, सी.आई.डी., मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, (वाणिज्यिक अपराध विंग), सी.आई.डी.
	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, सिविल आपूर्ति, सी.आई.डी.
	पुलिस अधीक्षक, सिविल आपूर्ति, मुख्यालय
	पुलिस अधीक्षक, रेलवे
	पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, विशेष शाखा, सी.आई.डी. मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, वन विभाग, मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा-II, सी.आई.डी., मद्रास
	पुलिस अधीक्षक, पेसुम्पन, मुथुरालिंगम जिला, सिवगंगा ।
	पुलिस अधीक्षक, अन्ना जिला, डिंडीगुल ।
	सहायक महानिरीक्षक पुलिस
	सहायक महानिरीक्षक पुलिस, तकनीकी सेवाएं
	सहायक महानिरीक्षक पुलिस, प्रवर्तन-1
	पुलिस उपायुक्त, मद्रास
	पुलिस उपायुक्त, मद्य-निषेध, मद्रास सिटी
	पुलिस उपायुक्त, कानून और व्यवस्था, सैन्ट्रल मद्रास सिटी
	पुलिस उपायुक्त, अपराध, साऊथ, मद्रास सिटी
	पुलिस उपायुक्त, यातायात
	प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज
	कमांडेंट तमिलनाडु, विशेष पुलिस बटालियन/संयुक्त पुलिस अधीक्षक

[सं. 11052/6/88-अ.भा.से. (II)-बी]

बाई.पी. डींगरा, डैस्क अधिकारी

टिप्पणी : —मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र में दिनांक 14 सितम्बर, 1954-क के सा.का.नि. संख्या, 158 द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्हें बाद में क्रमशः दिनांक 25-6-75, 25-9-76, 17-3-79, 28-7-79, 6-9-80, 20-4-83 तथा 31-3-84 का सा. का. नि. सं. 351 ई, 1370, 253-ई, 986, 896, 345-ई तथा 334 द्वारा संशोधित किया गया था ।

G.S.R. 422.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954:

(a) In Schedule III, in the Table under heading 'A' Posts carrying pay above the time scale pay of the Indian Police Service under the State Governments', for the entry "Tamil Nadu" occurring in the first column and the corresponding entires in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

State	Particulars of post	Pay/scale of pay
Tamil Nadu	Director Gezeral of Police	Rs. 7600-8000/-
	Director, Vigilance and Anti-Corruption	Rs. 5900-200-6700
	Inspector General of Police (Law and Order)	-do-
	Inspector general of Police (Crime)	-do-
	Inspector General of Police (Intelligence)	-do-
	Commissioner of Police	-do-
	Deputy Inspector General of Police	Rs. 5100-150-5400 (18th year or later)- -150-6150
	Deputy Inspector General of Police CID, (Intelligence)	-do-
	ceputy Inspector General of Police CID, Crime, Madras	-do-
	Deputy Inspector General of Police Enforcement-I	Rs. 5100-150-5400 (18th year or later)—150-6150
	Deputy Inspector General of Police, Civil Supplies, CID, Madras	-do-
	Deputy Inspector General of Police (Protection of Civil Rights)	-do-
	Deputy Inspector General of Police, Railways	-do-
	Deputy Director, Vigilance and Anti-Corruption, Madras	-do-
	Deputy Inspector General of Police, (Administration), Madras	-do-
	Deputy Inspector General of Police, (Training), Madras	-do-
	Director of Civil defence & Dy. Commandant General, Home Guards, Madras	-do-

(b) In Schedule III, in the table under the heading 'B' Posts carrying pay in the Senior Time Scale of the Indian Police Service under the State Governments, including posts carrying, special pay in addition to pay in the (Time Scale', for the entry 'Tamil Nadu' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following entries shall be substituted, namely :—

State	Particulars of the posts
Tamil Nadu	Superintendent of Police, District.
	Superintendent of Police, Villupuram, Police District.
	Superintendent of Police, DVAC, Madras.
	Superinterdent of Police, Q Branch, CID, Madras.
	Superintencent of Police, (Commercial Crime Wing), CID.
	Superintendent of Police, CID, Madras
	Superintendent of Police, Civil Supplies, CID
	Superintendent of Police, Civil Supplies, Hqrs.
	Superintendent of Police, Railways.
	Superintendent of Police, Security, Special Branch CID, Madras
	Superintendent of Police, Forest Cell, Madras
	Superintendent of Police, Crime Branch-II, CID, Madras.
	Superintendent of Police, Pasupon, Muthuralingam District at Sivaganga.
	Superintendent of Police, Anna District at Dindigul.
	Assistant Inspector general of Police.
	Assistant Inspector General of Police, Technical Services.
	Assistant Inspector General of Police, Enforcement-I
	Deputy Commissioner of Police, Madras.

Deputy Commissioner of Police, Prohibition, Madras City.
Deputy Commissioner of Police, Law & Order, Central Madras City.
Deputy Commissioner of Police, Crime, South, Madras City.
Deputy Commissioner of Police, Traffic.
Principal, Police Training College.
Commandant, Tamil Nadu Special Police Battalion/-
Joint Superintendent of Police.

Y. P. DHINGRA, Desk Officer
[No. 11052/6/88-AIS(II)-B]

NOTE : The Principal Rules were pubilshed vide Gazette of India GSR No. 158 dated 14th September, 1954. These were subsequently amended vide GSR Nos. 351-E, 1370, 253-E, 986, 896, 345-E and 334 dated 25-6-75 25-9-76, 17-3-79, 28-7-1979, 6-9-80, 20-4-83 and 31-3-84 respectively.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1989

सा.का.नि. 423—राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग में संयुक्त निदेशक (सॉफ्टवेयर) के पद पर भर्ती प्रणाली का नियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को संयुक्त निदेशक (सॉफ्टवेयर) तक विधायन और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भर्ती नियमावली, 1989 कहा जाए।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के मामलों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हता :—(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका पति/पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जिवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह अनुज्ञेय हैं तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों में छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों से कोई भी नियम, इस बारे में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	क्या के.सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत अनुमत्य जोड़े गए वर्षों का लाभ प्राप्त होगा।
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक	*(1989) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनाधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनिपिक वर्गीय	3700-125-4700-150-5000रु	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती वालों के अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो।
8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्रोजगार	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी जो (क) (i) नियमित आधार अनुरूप पदधारक हों, अथवा (ii) 3000-4500 रु. के वेतनमान वाले पदों पद 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखता :— अनिवार्य (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/गणित/प्रचालन अनुसंधान/भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) इकनोमेट्रिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष; (ii) ई डी पी प्रणाली, सूचना अथवा सांख्यिकीय प्रणालियों के जरिए सांख्यिकीय समंक विश्लेषण प्रभाग/बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण समंक विश्लेषण का 10 वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्षों का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तथा प्रणाली डिजाईनिंग का पर्यवेक्षीय हैसियत का होना चाहिए। वांछनीय : (i) इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अनिवार्य अर्हताओं में उल्लिखित किसी एक विषय में डॉक्टर उपाधि। (ii) समंक विश्लेषण के लिए डिजाईन, विकास तथा प्रणाली सौफ्टवेयर का अनुरक्षण/सामान्यकृत सोफ्टवेयरपैकेज के प्रयोग का अनुभव (iii) प्रणाली विश्लेषण अथवा उच्च कम्प्यूटर प्रणाली में प्रशिक्षण। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियुक्ति सशस्त्र सेना के कार्मिकों पर जो सेवानिवृत्ति होने वाले हों अथवा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अन्दर आरक्षण में स्थानान्तरण किया जाना है तथा जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव तथा अर्हताएं प्राप्त हों, पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जायेंगी जिस तारीख तक उनका सशस्त्र सेना से मुक्त होना देय हो, इसके पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर जारी रहेंगे। (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियुक्ति) (इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व इसी अथवा किसी अन्य संगठन में/केन्द्र सरकार के विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
13	14
लागू नहीं होता।	आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

[संख्या ए.-12018/4/87-रा.प्र. सर्वेक्षण-II

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 31st May, 1989

G.S.R. 423.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Software) in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Ntional Sample Survey Organisation, Department of Statistics, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Joint Director (Software) Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitmnt, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Joint Director (Software)	1* (1989) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000

Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12
By tranfer on deputation. For Ex-Servicemen Transfer on Deputation/Re-employment.	Transfer on deputation: Officers of Central/State Governments : (a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Master's degree in Statistics/Mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce (with Statistics)/Econometrics or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent; (ii) 10 years' experience in Statistical Data Processing/Large Scale Survey Data Processing through EDP System, Information or Statistical Systems out of which 5 years' experience should be in a supervisory capacity on actual computer programming and System Designing. Desirable : (i) Master's degree in Engineering or Doctorate in any of the subjects mentioned in essential qualifications; (ii) Experience in design, development and maintenance of system Software Use of Generalised Software Packages for Data Processing; (iii) Training in System Analysis or Advanced Computer System. For Ex-Servicemen: Tranfer on Deputation/Re-employment : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment (Re-employment upto the age of superannuation with effect to Civil posts). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with the Commission necessary.

[No. A-12018/4/87-NSS. II]

नई दिल्ली, 1 जून, 1989

सा.का.नि. 421.—राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सांख्यिकी विभाग में उप निदेशक (सोफ्टवेयर) के पद की भर्ती पद्धति का नियमन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—(i) इन नियमों को उप निदेशक (सोफ्टवेयर), समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भर्ती नियमावली, 1989 कहा जाए।

(ii) ये नियम भारत के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं :—(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका पति/पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है, तो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन मे छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों मे से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों से कोई भी नियम, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	क्या के. मि. से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (सोफ्टवेयर)	*1 (1989) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनाधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अनिपिक वर्गीय	3000-100-3500-125-4500रु.	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा, योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो।
8	9	10
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता।

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा मृतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा : केन्द्र/राज्य सरकारों के पदधारी जो : (क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पदधारक हो; अथवा (ii) 2200-4000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष; अथवा (iii) 2000-3500 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखता :— अनिवार्य :— (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी/गणित/प्रचालन अनुसंधान/भौतिकी अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित)/इकनोमैट्रिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष ; (ii) सांख्यिकीय समंक विधायन /बड़े पैमाने के सर्वेक्षण समंक विधायन में ई.डी.पी. प्रणालियों के जरिए 7 वर्षों का अनुभव जिनमें से 3 वर्षों का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तथा पद्धति डिजाइन तैयार करने में पर्यवेक्षीय हैसियत से होना चाहिए। वांछनीय : (i) इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अनिवार्य अर्हताओं में उल्लिखित किसी विषय में डॉक्टर उपाधि। (ii) प्रणाली प्रोग्रामिंग तथा समंक विधायन के लिए सामान्यकृत सोफ्टवेयर पैकेज के प्रयोग का अनुभव। (iii) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/प्रणाली डिजाइन/विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण। मृतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियुक्ति: सशस्त्र सेवा के कार्मिकों पर जो सेवानिवृत्त होने वाले हों अथवा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर आरक्षण में स्थानान्तरण किया जाना हो तथा जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव तथा अर्हताएं प्राप्त हों, पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति शर्तें दी जायेंगी जिस तारीख तक उनका सशस्त्र सेना से मुक्त होना देय हो, इसके पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति पर जारी रहेंगे। (विभिन्न पदों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियुक्ति)। (इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व हुगी अथवा किसी अन्य संगठन में/केन्द्र सरकार के विभाग में किसी अन्य संवर्ग/बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(13)	(14)
लागू नहीं होता।	आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

[संख्या ए.-12013/4/87-स्था. प्र. सर्वे.-II]

डी. एम. सेठी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st June, 1989

G.S.R. 424.—In exercise of the powrs conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Software) in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation, Department of Statistics, namely :—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Deputy Director (Software) Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classfication and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post thall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications. —No person —

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. —Nothing in these rules ahall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Deputy Director (Software)	1* (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500

Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made
11	12
By transfer on deputation. For Ex-Servicemen: Transfer on deputation/Reemployment.	By transfer on deputation : Officers of Central/ tate Governments : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

11	12
	(ii) with 5 year's regular service in posts in the scale of Rs. 2500-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Master's degree in Statistics/Mathematics/Operations Research Physics of Economics/Commerce (with Statistics)/Econometrics or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent; (ii) 7 years' experience in Statistical Data Processing/Large Scale Survey Data Processing through EDP Systems out of which 3 years' experience should be in a supervisory capacity on actual computer programming and Systems Designing. Desirable : (i) Master's degree in Engineering or Doctorate in any of the subjects mentioned in essential qualifications; (ii) Experience of Systems Programming and use of Generalised Software Packages for Data Processing, (iii) Formal training in Computer Programming/Systems Design/Analysis. For Ex-servicemen Transfer on deputation/re-employment The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment upto the age of superanuation with reference to Civil posts). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department or Central Government shall not exceed 4 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with the Commission necessary.

[No. A-12018/4/87-NSS. II]
D.S. SETHI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 1989

सा.का.नि. 435.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियमावली, 1976 का अतिक्रमण करते हुए, जहां तक वे प्रबन्धक (डिजाइन) के पद से संबंध रखती हैं, ऐसा अतिक्रमण करने से पूर्व यदि उसमें कोई समावेश किया गया है या लोप किया गया है, उसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति, इसद्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय और करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड में प्रबन्धक (डिजाइन) के पद से संबंधित भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय और करेंसी नोट प्रेस प्रबन्धक (डिजाइन) भर्ती नियम, 1989 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता या उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हता : वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण हों, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनित या अचयनित पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
प्रबन्धक (डिजाइन)	1* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' राजपत्रित गैर-प्रशासनिक	3700-125-4700-150-5000 रु.	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	नहीं

सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक व अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति पाने वालों के मामले में लागू होंगी है या नहीं
8	9
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ललित कला या वाणिज्यिक कला में स्नातक की उपाधि या समकक्ष डिप्लोमा। (iii) विभिन्न प्रकार के डिजाइन को तैयार करने में विशेषज्ञ किसी सरकारी विभाग या संस्थान में प्रतिभूति कार्यों, जिनमें ड्राई ओफसैट, इंटेग्लियो, सैट, मैग्नेटिक इंक और फोटो ग्रेवियूर व्यवस्था आदि शामिल हैं, में पर्यवेक्षक क्षमता में 1 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी (1) योग्यताओं में अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी (2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यताओं में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार ढील दी जा सकती है यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने के लिए वांछित योग्यता रखने वाले इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वांछनीय : प्रतिभूति प्रिंटिंग और विभिन्न प्रकार के प्रेविंग कार्य के लिए इंटर-आर्टिस्ट डिजाइन तैयार करने में अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हां

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाएगा।	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति से भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।
10	11	12
(1) प्रोन्नति अधिकारियों के लिए 2 वर्ष (2) सीधी भर्ती वालों के लिए 1 वर्ष	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (क) केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अंतर्गत वे अधिकारी जिन्होंने :— (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) 3000-4500 रुपए के वेतनमान में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती के लिए कालम 8 में दी गई शैक्षिक योग्यता व अनुभव रखते हों। 2. विभागीय उप-प्रबन्धक (डिजाइन) जो उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हों, उस पर भी बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है। (फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार जो पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति कोई है, तो उसका स्वरूप	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
13	14
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) 1. आर्थिक कार्य विभाग में टकसाल एवं मुद्रणालय प्रभाग के प्रमुख —सदस्य 2. संयुक्त सचिव (कार्मिक) व्यय विभाग (दोनों अधिकारिमों में से वरिष्ठ, अध्यक्ष होगा —सदस्य टिप्पणी :—स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। परन्तु, यदि इनका आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक आयोजित की जाएगी।	प्रत्येक मौके पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[सं. एफ 1/58/87-करेंसी (प्रोसेस)]
राजीव कलसी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 11th May, 1989

G.S.R. 425.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the India Security Press, Group 'A' and (B) posts Recruitment Rules 1976, so far as they relate to the post of Manager (Designs), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Manager (Designs) in the India Security Press and Currency Note Press, Nasik, Road, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the India Security Press and Currency Note Press Manager (Design) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Manager (Designs)	1* (1988)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non Administerial. * Subject to variation dependent on workload.	Rs. 3700-125-4700 150 5000.	N.A.	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	No.

8.	9.	10.	11.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
Essential (i) Matriculation from a recognised Board/ University or equivalent. (ii) Degree or equivalent diploma in Fine Arts or Commercial Art from a recognised University/Institution or equivalent. (iii) 10 years' experience in a supervisory capacity in designs and engraving work in a Government Department or Institution specialised in preparation of various designs for security work involving printing technologies of dry-offset, imaglio, intaglio-set, magnetic ink and photogravure systems etc. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to a Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that	Age : NO. EQs : Yes.	(i) 2 years for promotee officer. (ii) 1 years for direct recruitment.	Promotion/Transfer on deputation failing which by direct recruitment.

8
sufficient number of candidates from these communities possessng the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. DESIRABLE : Experience in preparation of inter-locking designs for security printing and engraving work of various types.

12	13	14
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compostion	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/Transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments :- (i) holding analogous posts on regular basis: or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent: and (b) possessing the educational qualifications experience prescribed for direct recruits under column 8. 2. The departmental Deputy Manager (Designs) with 5 years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for appointment on deputation. Similarly k deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Head of the Mints and Presses Division in the Department of Economic Affairs - Member. 2. Joint Secretary (Personnel) in the Department of Expenditure—Member. (The senior of the two officers will be the Chairman). *Note :—The Proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman a Member of the Union Public Service Commission shall be held.*	Selection on each occassion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. F. 1/68/87-- Cy. (Presses)]
RAJIV KALSI, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1989

सा.का.नि. 426 :—राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (1951 का 63) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबन्ध, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, मद्रास पर लागू होंगे ।

[फ़. संख्या 5 (4)/87-आई एफ-2]

(Banking Division)

New Delhi, the 30th May, 1989

G.S.R. 426.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 46 of the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that the provisions of section 6 of the said Act shall apply to the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, Madras.

[F. No. 5(4)/87-IF. II]

सा.का.नि. 427 :—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उप-धारा (2) तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम 1984 (1984 का 62) की धारा 62 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) के उपबन्ध भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम 1984 (1984 का 62) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के कर्मचारियों के हित के लिए स्थापित भविष्य निधि पर लागू होंगे ।

[फ़. संख्या 1 (3)/88-आई एफ-2]

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) and sub-section (2) of Section 62 of

the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (62 of 1984), the Central Government hereby directs that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the empolyees of the Industrial Reconstruction Bank of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (62 of 1984).

[F. No. 1(3)/88-IF. II]

सा.का.नि. 428 :—भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित सरकारी संस्थान का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है, अर्थात् :—

"भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक"

[एफ. संख्या 1 (3)/88-आई एफ-ii]

वी.पी. भारद्वाज, अवर सचिव

G.S.R. 428.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the following public institution, to the Schedule to the said Act, namely:—

"Industrial Reconstruction Bank of India."

[F. No. 1(3)/88-IF. II]
V. P. BHARDWAJ, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

सा.का.नि. 428.—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 3 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं. 218/सीमा शुल्क/85 के अनुसार काण्डला फ्री ट्रेड जोन बोर्ड को जोन में माल के उत्पादन अथवा पैकिंग के दौरान होने वाले स्क्रैप अथवा अपशिष्ट सामग्री की प्रतिशतता को निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। इस अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय ने दिनांक 30-7-85, 19-2-86, 24-4-86 तथा 27-5-87 की अधिसूचना सं. 6/7/85-एफ टी जैड के द्वारा 39 (उनतालीस) मदों के संबंध में स्क्रैप तथा अपशिष्ट की प्रतिशतता निर्धारित की है।

2. इन अधिसूचनाओं के अनुक्रम में जोन में विनिर्माण की निम्नलिखित अतिरिक्त मदों के संबंध में स्क्रैप तथा अपशिष्ट की प्रतिशतता निर्धारित तथा अधिसूचित की जाती है :

क्र.सं. अधिसूचना	विनिर्मित वस्तु/उत्पाद का नाम	प्रयोग में लाई गई आयातित वस्तुएं	आयातित माल में अपशिष्ट अथवा स्क्रैप की प्रतिशतता
1	2	3	4
17.	फ्लोरसेंट स्टार्टर स्विचेस	(ङ) ग्लो लैम्पस	6.5 प्रतिशत
		(च) कैपेसीटर्स	7.5 प्रतिशत
		(छ) रिवेटिंग	5.5 प्रतिशत
		(ज) एल्युमिनियम एनोड रोड्स	25 प्रतिशत
		(झ) बैकलिट शीट्स	35 प्रतिशत
40.	एच आर सी फ्यूसेज	(क) रेसिस्टेंट वायर	10 प्रतिशत
		(ख) इण्डीकेटर	10 प्रतिशत
		(ग) कांटेक्ट माइल्स	1 प्रतिशत
		(घ) एक्सकोनल (एल्युमिनियम प्रोफाइल्स)	13 प्रतिशत
		(ङ) अफेज प्लास्टिक	15 प्रतिशत
		(च) पुल लग्स	2 प्रतिशत
		(छ) हैक्सागोनल-1 नट	1 प्रतिशत
		(ज) सिलंडर हैड स्क्रू	1.05 प्रतिशत
		(झ) स्प्रिंग वाशर	5.25 प्रतिशत
		(ञ) नाम पट्ट	1 प्रतिशत
		(ट) सिलिकोन रबड़	2 प्रतिशत
		(ठ) स्ट्राइकर प्लाट	1 प्रतिशत
		(ड) स्ट्राइकर होस	1 प्रतिशत
		(ढ) स्ट्राइकर पिन	1 प्रतिशत
		(ण) एक्सट्रेक्टर रिवेट	3 प्रतिशत
		(त) कंप्रेशन स्प्रिंग	5 प्रतिशत
		(थ) सपोर्ट कार्ड बोर्ड	3 प्रतिशत
		(द) सोल्डरिंग वायर	10 प्रतिशत
		(ध) फेनोल वाक मिनरल्स	5 प्रतिशत
		(न) कापर स्ट्रिप्स	9 से 10 प्रतिशत

3. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र (कामव्यक्षे) में वे स्थान शामिल होंगे जिन पर सर्वेक्षण संख्या अंकित होगी और उनसे लगे आहाते जैसाकि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है।

[फाइल सं. 6/2/88-एफ टी जैड]
डी.एस. सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th May, 1989

G.S.R. 429.—In terms of Ministry of Finance, Department of Revenue Notification No. 218/Customs/85, dated the 3rd July 1985, the Kandla Free Trade Board, has been empowered to fix the percentage of scrap or waste materials arising in the course of production or packaging of goods in the Zone. In exercise of the powers conferred under this Notification, this Ministry vide Notifications No. 6/7/85—FTZ dated 30-7-85, 19-2-86, 24-4-86 and 27-5-87 had fixed percentage of scrap and waste in respect of 39 (thirty-nine) items.

2. In continuation of these Notifiations, percentage of scrap and waste in respect of the following additional items of manufacture in the zone is hereby fixed and notified :—

Sl. No.* *In notification	Name of goods/product manufactured	Imported goods used	Percentage of screen or watte in imported goods
1	2	3	4
17.	Fluorescent starter switches.	(e) Glow lamps	6.5%
		(f) Capacitors	7.5%
		(g) Revetting	5.5%
		(h) Aluminium alloy rods	25%
		(i) Bakelite sheets	35%
40.	HRC fuses	(a) Resistance wire	10%
		(b) Indicator	10%
		(c) Contact knives	1%
		(d) Exconal (Aluminium profiles)	13%
		(e) Shrinkage Plastic	15%
		(f) Pull lugs	2%
		(g) Hexagonal—1 nut	1%
		(h) Cylinder head screw	1.05%
		(i) Spring washer	5.25%
		(j) Name plates	1%
		(k) Silicon rubber	2%
		(l) Striker plat	1%
		(m) Striker hose	1%
		(n) Striker Pin	1%
		(o) Extractor Rivets	3%
		(p) Compression spring	5%
		(q) Support card boards	3%
		(r) Soldering wire	10%
		(s) Phenol Chalk Mineral	5%
		(t) Copper strips	8 to 10%

3. For the purpose of this Notification, the Kandla Free Trade Zone (KAFTZ) shall comprise of the places bearing survey numbers and enclosed boundaries, as notified by the central Board of Excise and Customs from time to time.

[F No. 6/2/88-FTZ]
D.S. SETHI, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

फारवर्ड मार्किट्स आयोग

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

सा.का.नि. 430—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वायदा बाजार आयोग, भारत सरकार की अधिसूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सा.का.नि. सं. 1105 तारीख 6-11-1958 में प्रकाशित वर्ग I और वर्ग II पद भर्ती नियम, 1958 जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक के पद से है उन बातों के सिवाय अभिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय नागरिक पूर्ति विभाग वायदा बाजार आयोग, बम्बई में ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, वायदा बाजार आयोग (ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके या इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	3	5	6	7
ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक	*15 (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित	1640-60-2600 चयन द.रो.-75-2900 रुपये	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिका सहित) सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र (वाणिज्य सांख्यिकी सहित) सांख्यिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या चारटर्ड एकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य हो।	नहीं।	2 वर्ष

8	9	10
(ii) सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और निर्वचन का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी—1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा कनिष्ठ अनुसंधान सहायक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) : 1. अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग—अध्यक्ष 2. सदस्य, वायदा बाजार आयोग—सदस्य 3. सचिव, वायदा बाजार आयोग,—सदस्य।	सीधी भर्ती करते समय संघ सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[फा. सं. ए.-12011/20/86-प्र.-[I]

ओ.पी. खेत्रपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

FORWARD MARKETS COMMISSION

New Delhi, the 29th May, 1989

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Forward Markets Commission Class I and Class II Recruitment Rules, 1958, publihsed with Notification of Government of India, the late Ministry of Commerce and Industry, GSR No. 1105 dated 6-11-1958 in so far as these relate to the post of Senior Research Assistant except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Assistant in the Forward Markets Commission, Bombay, in the Ministry of Food & Civil Supplies, Department of Civil Supplies, namely :-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Forward Markets Commission (Senior Research Assistant) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the aid post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person—

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Senior Research Assistant	15* (1989) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted	Rs. 1640-60-2600-EN-75-2900.

Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. Pension) Rules, 1972
5	6	7
Selection	Not exceeding 30 yrs. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
8	9
Essential : (i) Master's degree in Economics/Commerce (with Statistics)/ Statistics of a recognised University or equivalent, Or Bachelor's degree in Economics/Commerce (with Statistics)/Statistics of a recognised University or equivalent with Degree in Law of a recognised University or Membrship of the Institute of Chartered Accountants. (ii) 3 years' experience in collection, compilation analysis and interpretation of Statistical dats.	No

8	9
Note I : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promtion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
2 years	50% by direct recruitment and 50% by promotion	Promotion : Junior Research Assistant with 5 years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation); 1. Chairman (Forward Markets Commission)—Chairman 2. Member, Forward Markets Commission—Member 3. Secretary, Forward Markets Commission—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment

[File No. A-12011/20/86-Estt. II]

O.P. KHETRAPAL, Under secy.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1989

सा.का.नि. 431. :—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1156 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स आईटोमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई, है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होगी अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-3-1988 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापारत लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं का विवरण, तथा

(ii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-3-1988 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[संख्या 14/36/88-सीएल -VI/III]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

के.एम. गुप्ता, अवर सचिव (कम्पनी विधि बोर्ड)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 25th May, 1989

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. Itoman and Company Limited (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-3-1988 the company in respect of Indian Business submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and

(2) a Chartered Accountant practising in India :

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above ; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-3-1988.

By Order of the Company Law Board,

[No. 14/36/88-CL.VI/CL. III]

K. M. GUPTA, Under Secy.
(Company Law Board)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

सा.का.नि.–432———राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग 3 पद तकनीकी) भर्ती नियम, 1961 को जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (ज्येष्ठ) और सर्वेक्षक (कनिष्ठ) और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह "ग" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण) कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण) और सर्वेक्षक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में समूह "ग" पदों पर—भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह "ग" पद अननुसचिवीय-सर्वेक्षण शाखा) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)	85* (1968) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनराजपत्रित	1640-60-2600-ई.बी.-75-2900रु.	अचयन	20 से 28 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक की जा सकती है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
(1) मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य। (2) उसके पास किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण में डिप्लोमा या समतुल्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन या खान सर्वेक्षण (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	नहीं	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)।

8
में डिप्लोमा या समतुल्य या सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा होना चाहिए साथ ही सर्वेक्षण कार्य के सभी पहलुओं जिसके अन्तर्गत थियोडोलाइट सर्वेक्षण किसी खान बांध स्थल में सक्षम स्थिति या कोई इंजीनियरी या सर्वेक्षण स्थापन भी है में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव। या उसके पास धातु या पद खान विनियम 1961 के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या सक्षमता होनी चाहिए साथ ही उसे खान सर्वेक्षण कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा :
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : 1400-2300 रु. के वेतनमान में ऐसा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के अधीन सदृश या समतुल्य पद धारण करते हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन उपवर्णित अर्हता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे — 1. जी.एस.आई. का निदेशक या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी—अध्यक्ष 2. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का समूह "क" अधिकारी—सदस्य। 3. जी.एस.आई. का आर.एस.ओ./एस.ए.ओ. या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी—सदस्य 4. जी.एस.आई. का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)	18* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	प्रवरण	18 से 25 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक की जा सकती है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता

8	9	10
(1) मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य। (2) उसके पास किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण कार्य में डिप्लोमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन या खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य या सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा होना चाहिए साथ ही किसी खान बाध स्थल इंजीनियरी या सर्वेक्षण स्थापना में थियोडोलाइट संक्रमण और समतलन समोच्चरेखण आदि कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। या उसके पास धातुप्रापक खान विनियम, 1961 के अधीन सर्वेक्षक प्रमाणपत्र या सक्षमता होनी चाहिए साथ ही उसे खान सर्वेक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण . 1 अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : 1200-2040 रुपए के वेतनमान में ऐसा सर्वेक्षक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में सदृश या समतुल्य पद धारण करते हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 में उपदर्शित अर्हता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. खनिज विज्ञानी (ज्येष्ठ) या जी.एस.आई. समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी—अध्यक्ष	
2. एस.ए.ओ. या जी.एस.आई. समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी—सदस्य	
3. जी.एस.आई. के क्षेत्र या प्रभाग या सी.एच.क्यू. जहां कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होनी है अवस्थित भारत सरकार के किसी अन्य विभाग से 3000-4500 रुपये या अधिक वेतनमान में समूह "क" अधिकारी—सदस्य ।	
4. जी.एस.आई का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य।	

4

1	2	3	4	5	6	7
3. सर्वेक्षक	177* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय	1200-30-1500-द.रो.-40-2040रु	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक की जा सकती है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण: 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता

8	9	10
(1) मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य। (2) उसके पास किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण कार्य में डिप्लोमा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन या खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) या समतुल्य या सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा होना चाहिए साथ ही किसी खान बांध स्थल या इंजीनियरी या सर्वेक्षण स्थापना में थियोडोलाइट सर्वेक्षण समतलन, समोच्च-रेखण आदि कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।]

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- 1. खनिज विज्ञानी (ज्येष्ठ) या जी.एस.आई. का समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी--अध्यक्ष 2. एस.ए.ओ. या जी.एम! आई. पंक्ति का एक अधिकारी---सदस्य 3. जी.एस.आई. के क्षेत्र या प्रभाग या सी.एच.क्यू. जहां विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होना है अवस्थित भारत सरकार के किसी अन्य विभाग से 3000-4500 रुपए या अधिक वेतनमान में समूह "क" अधिकारी--सदस्य 4. जी.एस.आई. का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति समुदाय का हो--सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए- 12018/23/88-एम-II]

जे.बी. मुनिराजुलु, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 29th May, 1989

G.S.R. 432.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Geological Survey of India (Class III posts Technical) Recruitment Rules, 1961, in so far as they relate to the posts of Selection Grade Curveyor (Senior) and Surveyor (Jr.) and the Geological Survey of India (Group C Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (Survey), Junior Technical Assistant (Survey) and Surveyor, except as respects things done of omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Geological Survey of India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Geological Survey of India (Group 'C' posts Non-Ministerial-Survey Stream) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relaating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post.	Age for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Technical Assistant (Survey)	*85 (1989) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/-.	Non-Selection	20 to 28 years. (Relaxable upto 5 years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates and upto 35 years for other Government servants and the age is also relaxable for other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard). Note 1. : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In case of appointment to be made through Employment, Exchange, the crucial date for determing the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recrt. or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer grade from which promotion/ deputation/transfer to be made.
8	9	10	11	12
(i) Matriculation or its equivalent. (ii) Should have a diploma in Surveying from an Industrial Training Instt. (2 yrs. course) or equivalent or a Diploma in Mining & Mine Surveying (3 yrs. course) or	No	2 years (for direct recruits only)	By promotion failing which, by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment.	Promotion : Junior Technical Assistant (Survey) in the scale of Rs. 1400-2300/- with 5 years regular service in the grade. Transfer on Deputation : Officers holding analogous

8	9	10	11	12
equivalent or a Diploma in Civil Engineering from a recognised Instt. with 5 years working experience in all aspects of Surveying including Theodolite Surveying. Precision position in any mine, dam site or any Engineering or Surveying Estt. OR Should possess a Surveyor certificate or competency under the Metalliferous Mines Regulations, 1961 with 3 years working experience as Mines Surveyor. NOTE : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes & the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the candidates reserved for them.				or equivalent posts Under Central Government/State Government Public Sector Undertakings and possessing qualifications indicated under Col. 8 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recrt.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation consisting of) : 1. The Director or officer of equivalent rank of GSI - Chairman 2. A Group 'A' Officer of other Central Govt. Deptt. - - Member 3. A RAO SAO or an officer of equivalent rank of GSI - - Member 4. One officer of GSI belonging to the SC or ST community —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Junior Technical Assistant (Survey)	*181 (1989) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/-	Non-Selection	18 to 25 years. (Relaxable upto 5 years for SC/ST candidates and upto 35 years for other Government servants and the age is also relaxable for other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.)	Not applicable

6
Note 1. : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In case of appointment to be made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11	12
(i) Matriculation or its equivalent (ii) Should have a Diploma in Surveying from an Industrial Training Instt. (2 years course) or equivalent or a Diploma in Mining and Mine Surveying (3 years course) or equivalent or a Diploma in Civil Engineering from a recognised Instt., with at least 3 years working experience in theodolite; traversing and levelling, contouring, etc. in any mine, camsite engineering or Surveying establishment. OR Should possess a Surveyor's certificate of competency under Metalliferious Mines Regulations, 1961 with at least one year's experience as a Mine Surveyor. NOTE : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate belonging to the SC/ST if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	2 years (for direct recruits only).	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment.	Promotion : Surveyor in the scale of Rs. 1200-2040 with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers holding analogous or equivalent posts under Central Government/State Government/Public Sector Undertakings and possessing qualifications indicated under Col. 8 (period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— 1. A Mineralogist (Sr.) or an officer of equivalent rank of GSI.—Chairman 2. A 'SAO' or an officer of equivalent rank of GSI. —Member 3. Group 'A' Officer in the scale of pay of Rs. 3000-4500 or above from any other Central Government Department located in the Region or Division or CHQ of GSI where the meeting of the DPC is to be held. —Member 4. One officer of GSI belonging to the SC or ST community. —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. Surveyor	*177 (1989) *subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Not applicable	18 to 25 years. (Relaxable upto 5 years for SC/ST candidates and upto 35 years for other Government servants and the age is also relaxable for other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note :2. Incase of appointment to be made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Not applicable

8	9	10	11
(i) Matriculation or its equivalent. (ii) Should have a Diploma in Surveying from an Industrial Training Instt. (2 years course or equivalent or Diploma in Mining and Mine surveying (3 years course) or equivalent or a Diploma in Civil Engineering from a recognised Instt. with working experience in the dolite surveying, levelling, contouring, etc. in any Mines dam sits or engineering or surveying establishment. NOTE The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the SC/ST, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	2 years	By direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'C' DPC (for considering confirmation) : 1. A. Mineralogist(Sr) or an officer of equivalent rank of GSI —Chairman	Not applicable

12	13	14

2. A 'SAO' or an officer of equivalent rank of GSI —Member
3. Gr. 'A' officer in the scale of pay of Rs. 3000-4500 for above from any other Central Govt. Department located in the Region or Division or CHQ, GSI where the Meeting of the DPC is held—Member
4. One officer of GSI belonging to the SC or ST community —Member

[No. A. 12018/23/88—M.II]
J.B. MUNIRAJULU, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 23 मई, 1989

सा. का. नि. 433 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुकों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली प्रशासन के सहायक शिक्षा निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारंभ:—(1) इन नियमों को दादरा और नागर हवेली प्रशासन, सहायक-शिक्षा-निदेशक, भर्ती नियमावली, 1989 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उनसे सम्बन्धित वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट किए गए हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 के अनुसार होंगे ।

4. अयोग्यताएं:—कोई भी ऐसा व्यक्ति:—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध करता है, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुमत्य है और ऐसा करने के कुछ और आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम में छूट दे सकती है ।

5. छूट देने का अधिकार:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट दे सकती है ।

6. प्रतिबन्ध:—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व-सेवा-कर्मियों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा गैर-प्रवरण पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक शिक्षा निदेशक	1* (1989) *कार्यभार के अनुसार घट-बढ़ सकते हैं।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित लिपिक-वर्गीय	रु. 2200-75-2800-ई.बी.-100-4000	प्रवरण	लागू नहीं होगा

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि:-- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होगा।	लागू नहीं होगा।	लागू नहीं होगा।	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी हो तो वे ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13	14
पदोन्नति ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल (ग्रुप---"ख" राजपत्रित) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों, अथवा (ii) 2000---3500 रु. के वेतनमान में अथवा समकक्ष पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले ; (iii) 1640---2900 रु. के वेतनमान में अथवा समकक्ष पदों में 5 वर्ष नियमित सेवा ; वाले और (ख) एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के डिग्री धारक अथवा समकक्ष तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शिक्षा में डिग्री अथवा शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव के समकक्ष। (फीडर) श्रेणी में वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, जो प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, वे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के पूर्व तुरन्त ग्रहण किए गए अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आ.---अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव का प्रणामक---सदस्य 3. कलक्टर---सदस्य 4. उप सचिव, शिक्षा विभाग---सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग परामर्श करना अनिवार्य है।

[सं० एफ० 4-4/83-यू०टी०-I]

सतपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 23rd May, 1989

G.S.R. 433.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Education, Dadra and Nagar Haveli Administration, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Dadra and Nagar Haveli Administration, Assistant Director of Education, Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person to the said posts shall be eligible for appointment.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	Classificattion	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Age limit for Direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Assistant Director of Education	*(1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection	Not Applicable

SCHEDULE

Whether benefit of added years of Service Admissible under the rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.
7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years

SCHEDULE

Method of Rectt. Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which/promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
11	12	13	14
By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Head Master's High School Group 'B' Gazetted) with 3 yeas' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of Central/State Governments/Union Territories :	Group 'A' DPC (for promotion) 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman. 2. Chief Secretary-UT Administration — Member. 3. Collector -UT Admn.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12	13
(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000–3500 or equivalent; (iii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640 -2700 or equivalent; and (b) possessing degree from a recognised University or equivalent and degree in education of a recognised University or equivalent with experience in the field of educational administration. (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists, shall not be eligible for consideration for appointment by promtion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years)	– Member. 4. Deputy Secretary, Department of Education– Member

[No. F. 4—4/83-UT—I]
SAT PAL, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1989

सा.का.नि. 434 साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1989 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 206 तारीख 26-3-88 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड 3 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र 19-4-89 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

और उक्त प्रारूप के संबंध में प्राप्त आक्षेपों /सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1937 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या किए जाने से लोप की गई है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 है।

(2) ये अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित सभी कृषि वस्तुओं और अन्य उपज को लागू होंगे।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "एगमार्क श्रेणीकरण" से किसी वस्तु का अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विहित श्रेणी मानकों के अनुसार श्रेणीकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "एगमार्क लेबल" से ऐसा लेबल अभिप्रेत है जिस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिज्ञान विनिर्दिष्ट हों और विहित अधिकार चिन्ह लगा हो,

(घ) "एगमार्क प्रतिकृति" से एगमार्क लेबल के स्थान पर श्रेणी ऐसा अभिज्ञान चिन्ह अभिप्रेत है जिसमें "एगमार्क" शब्द सहित विहित डिजाइन और प्राधिकरण प्रमाण पत्र संख्या सम्मिलित है;

(ङ) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;

(च) "प्राधिकृत पैकर" से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी वस्तु के श्रेणी करण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र दिया गया है ;

(छ) "प्राधिकृत परिसर" से प्राधिकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट केवल ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं जहां श्रेणी अभिज्ञान चिन्ह लगाए जा सकेंगे,

(ज) "अनुमोदित रसायन" से ऐसा रसायनज्ञ अभिप्रेत है जिसे एगमार्क श्रेणीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है,

(ग) "अनुमोदित प्रयोगशाला" से ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है जो एगमार्क श्रेणीकरण के लिए किसी वस्तु के परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो ;

(घ) "केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला" से विपणन और निरीक्षण निदेशालय की निजी प्रयोगशाला अभिप्रेत है ,

(ङ) "प्राधिकरण प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अधीन विहित प्रोफार्मा में जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को किसी वस्तु को श्रेणी अभिधान चिन्ह से श्रेणीकृत और चिन्हांकित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है,

(ठ) "एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र" से निर्यात के लिए आशयित एगमार्क श्रेणी परेषण की बाबत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विहित प्रोफार्मा में जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ड) "उपभोक्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसने व्यक्तिगत, घरेलू, या गृहस्थी के उपयोग या उपभोग के लिए वस्तु का क्रय किया है ;

(ढ) "निदेशालय से भारत सरकार का विपणन और निरीक्षण निदेशालय अभिप्रेत है ;

(ण) "चिन्हांकन" के अंतर्गत किसी वस्तु पर श्रेणी अभिधान चिन्ह लगाना या आवरण या आधान पर एगमार्क लेबल लगाना या एगमार्क प्रतिकृति का छापना/स्टैन्सिल निकालना भी है ;

(त) "विहित" से नियमों या अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों के अधीन विहित अभिप्रेत है ;

(थ) "प्रादेशिक एगमार्क प्रयोगशाला" से अनुसूचित वस्तुओं के परीक्षण के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा स्थापित कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(द) "व्यापार ब्रांड लेबल" के अंतर्गत किसी प्राधिकृत पैकर द्वारा प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित प्राइवेट चिन्ह, ब्रांड, लेबल, चित्रमय रूपण भी है ;

(ध) अवसान की तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तक उत्पाद का उपभोग कर लेना चाहिए।

3— प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया जाना :— (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार चाहता है, कृषि विपणन सलाहकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आवेदन देगा।

(2) प्राधिकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित लगाने होंगे —

(क) स्वत्वधारी घोषणा या भागीदारी विलेख या संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद का सोसाइटी की उपविधियां, जैसी भी स्थिति हो,

(ख) वस्तुओं के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर का रेखाचित्र ;

(ग) परिसर के बारे में स्वामित्व घोषणा या परिसर के स्वामी की सम्मति ;

(घ) अनुमोदित प्रयोगशाला, प्रिंटिंग मिल आदि की, जो भी लागू हो, सम्मति ;

(ङ) व्यापार ब्रांड लेबल के स्वामित्व के बारे में घोषणा सहित व्यापार ब्रांड लेबल की नमूना प्रतियां, यदि कोई हों और अनुमोदन हो जाने पर केवल एगमार्क श्रेणीकृत उत्पाद के लिए उनके प्रयोग के संबंध में वचनबंध ;

(च) प्राधिकरण प्रमाणपत्र देने के लिए विहित फीस, यदि कोई हो; और

(छ) कोई अन्य विशिष्टियां जो समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) प्राधिकरण के लिए आवेदन फर्म के स्वत्वधारी, भागीदार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा या फर्म की ओर से ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से आवेदन पर अभिलिखित किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा —

(क) देशी बाजार के लिए श्रेणीकरण की बाबत संबद्ध राज्य प्राधिकारी और या निदेशालय का कार्यालय, और

(ख) निर्यात के लिए श्रेणीकरण की बाबत निदेशालय का निकटतम कार्यालय।

(5) प्राधिकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबद्ध प्राधिकारी आवेदक की सद्भावना के सत्यापन और परिसर, प्रयोगशाला, प्रिंटिंग मिल, आदि के निरीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा और अपना यह समाधान होने पर कि आवेदक प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सही और उचित व्यक्ति है उसका आवेदन प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश के साथ सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(6) आवेदक को प्राधिकरण प्रमाण पत्र कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(7) प्रत्येक प्राधिकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा।

(क) प्राधिकृत पैकर का नाम, उपनाम और पता ;

(ख) वे वस्तुएं जिन पर प्रमाण पत्र के अधीन श्रेणी अभिधान लगाए जा सकेंगे ;

(ग) वे परिसर जहां श्रेणी अभिधान लगाए जा सकेंगे ;

(घ) वह अवधि जिसके लिए प्रमाणपत्र विधिमान्य है ; और

(ङ) अनुमोदित प्रयोगशाला, प्रसंस्करण एकक, व्यापार ब्रांड लेबल, आदि का, जहां लागू हो, नाम।

(8) प्रत्येक प्राधिकरण प्रमाणपत्र के लिए यह शर्त होगी —

(क) कि श्रेणी अभिधान चिन्ह केवल प्राधिकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित वस्तुओं को, विधिमान्यता अवधि के दौरान और उसमें प्राधिकरण प्रमाण-पत्र में) उल्लिखित परिसरों पर लगाए जाएंगे ;

(ख) प्रमाणपत्र के प्रवर्तन के दौरान, प्राधिकृत पैकर सभी युक्तियुक्त समयों पर, प्रमाणपत्रों में उल्लिखित परिसर में कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत देगा और यह अभिनिश्चित करने के लिए सुविधाएं देगा कि चिन्हांकन सही रूप से किया गया है,

(ग) प्राधिकृत पैकर प्रत्येक श्रेणी अभिधान से चिन्हांकित पैकेजों की संख्या का अभिलेख रखेगा और कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभिलेख की परीक्षा देगा।

(घ) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी ऐसे पैकेज को खोलने और उसका निरीक्षण करने जिसमें श्रेणी अभिधान चिन्ह लगा हुआ हो या किसी श्रेणीकृत उपज का नमूना लेने की अनुज्ञा देगा परन्तु ऐसे सभी नमूनों के लिए संदाय किया जाएगा ;

(ङ) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी उपज का श्रेणी अभिधान चिन्ह रद्द कर सकेगा या उसे हटा सकेगा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी उपज दिए गए श्रेणी अभिधान के लिए विहित क्वालिटी की परिभाषा के अनुरूप नहीं है ;

(च) अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों का और किसी वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन से संबद्ध अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी निदेशों का, जो कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, पालन किया जाएगा,

(छ) प्राधिकृत पैकर अपने द्वारा श्रेणीकृत और चिन्हांकित सभी पैकेजों का, अवसान अवधि की तारीख के पश्चात, जहां कहीं विहित हो, विक्रय प्रतिषिद्ध करने और उन्हें बाजार से हटाने की व्यवस्था करेगा ; और

(ज) प्राधिकृत पैकर फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति, जो अनाचार करता है या किसी प्राधिकृत अधिकारी को उसके शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई बाधा डालता है, जिम्मेदार होगा।

(झ) प्राधिकृत पैकर प्राधिकरण प्रमाणपत्र कृषि सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी समय लिखित रूप में मांग की जाने पर सौंप देगा और उसकी एक समुचित रसीद प्राप्त कर लेगा।

4— प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण :— (1) प्राधिकरण प्रमाण पत्र सामान्यतः जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा और उसके पश्चात श्रेणीकरण अनुपालन के आधार पर और पैकर द्वारा आवेदन दिए जाने पर पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उसका नवीकरण किया जाएगा।

(2) प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण प्रमाणपत्र और नवीकरण की फीस सहित, जो विहित की जाए, विधिमान्य अवधि समाप्त होने के पूर्व विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा और प्राधिकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के तीस दिन पर से ग्रहण किया जाएगा।

(3) नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और श्रेणीकरण अनुपालन और सरकारी शोध्य रकम को संदाय किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत निदेशालय या राज्य सरकार कोई अधिकारी एक बार, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगा उसे पैकर को लौटाएगा।

(4) ऐसा प्राधिकृत पैकर, जिसने विहित अवधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, नवीकरण की प्रत्याशा रखते हुए प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि के परे श्रेणीकरण तक जारी रख सकेगा जब तक कि उसको विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा जानकारी न दी गई हो।

(5) यदि प्राधिकृत पैकर श्रेणीकरण कार्य जारी नहीं रखना चाहता है तो प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्दकरण के लिए उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को विधिमान्यता अवधि प्राप्त होने के पश्चात एक मास के भीतर लौटा दिया जाएगा।

5— प्राधिकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तन :— (1) प्राधिकृत पैकर के नाम, उपनाम या पते में परिवर्तन की समसूचना प्राधिकरण प्रमाणपत्र सहित तीस दिन की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र सम्मिलित किए जाने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को दी जाएगी।

(2) यदि प्राधिकृत पैकर परिसर में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कृषि विपणन सलाहकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे इस निमित कृषि विपणन सलाहकार ने प्राधिकृत किया हो, अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन देगा, जो प्रस्तावित पर परिसर की उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के पश्चात उसे प्रमाणपत्र में अभिलिखित करेगा।

6. प्राधिकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना :— यदि प्राधिकरण प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, विकृत हो जाता है या खो जाता है तो प्राधिकृत पैकर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को विहित प्ररूप में क्षतिग्रस्त विकृत प्रमाणपत्र या खोए हुए प्रमाणपत्र के लिए विहित प्ररूप में शपथपत्र और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति और विहित फीस सहित, यदि कोई हो, आवेदन देगा। तदनुसार प्राधिकृत पैकर को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।

7. प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निलम्बन या रद्द करण — (1) कृषि विपणन सलाहकार या निदेशालय या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी जो इस निमित कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो प्राधिकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) प्राधिकृत पैकर ने श्रेणीकरण चिन्ह ठीक ढंग से नहीं लगाए हैं, या

(ख) प्राधिकृत पैकर ने अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, या

(ग) प्राधिकृत पैकर ने अधिनियम के किसी नियम का अतिक्रमण किया है या अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

(2) प्राधिकरण प्रमाणपत्र तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि,—

(क) प्राधिकृत पैकर को प्राधिकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित पते पर प्रस्तावित कार्रवाई के आधारों का उल्लेख करते हुए ऐसे आशय की लिखित सूचना न दे दी गई हो, और

(ख) सूचना की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण यदि कोई हो, देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) यदि प्राधिकृत पैकर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने का विनिश्चय करता है तो संबद्ध पैकर को वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन को तुरन्त समाप्त करने और प्राधिकरण प्रमाणपत्र, श्रेणीकरण और चिन्हांकन उपस्कर, एगमार्क लेबल और एगमार्क प्रतिकृति वाले आधान निदेशालय को अभ्यर्पित करने को अनुदेश देते हुए सूचना देगा।

8. प्रयोगशाला का अनुमोदन :— (1) किसी ऐसी वस्तु की बाबत जिसकी क्वालिटी निर्धारण के लिए प्रयोगशाला परीक्षण अपेक्षित हो, आवेदक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या निदेशालय या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी के जो इस निमित कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अनुमोदन से या तो—

(क) विहित मानकों के अनुसार अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा ; या

(ख) अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला/सहकारी/संगम/प्रयोगशाला या किसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में प्रवेश कर सकेगा।

(2) प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला को किसी वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए अनुमोदन अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि केन्द्र पर कोई राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला नहीं है। संबद्ध राज्य प्राधिकारियों की विनिर्दिष्ट सिफारिशों पर :

परन्तु यह और कि प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला का स्वामी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रकम का प्रतिभू बन्धपत्र निष्पादित करता है या उस रकम की प्रतिभूति देता है।

(3) किसी प्रयोगशाला का, चाहे वह पैकर की अपनी प्रयोगशाला हो या राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी संगम या प्राइवेट वाणि-

ज्यिक प्रयोगशाला हो, अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्रेणीकरण और चिन्हांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया है या नियमों और इस विषय में जारी किए गए अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया गया है परन्तु यह तब जबकि प्रयोगशाला के स्वामी को इसकी लिखित रूप से चौदह दिन की सूचना दे दी गई हो और इसके साथ-साथ उसे इस बात का कारण बताने का कि क्यों न अनुमोदन वापस लिया जाए, अवसर दिया गया हो।

9—रसायनज्ञ का प्रशिक्षण और अनुमोदन :— (1) किसी भी रसायनज्ञ को अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी वस्तु के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए कृषि विपणन सलाहकार या निदेशालय या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अनुमोदित किया जा सकेगा परन्तु यह तब जब कि—

(क) उसके पास न्यूनतम विहित अर्हताएं हैं, और

(ख) उसने वस्तुओं के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के विश्लेषण और प्रक्रिया में सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(2) रसायनज्ञ के अनुमोदन की यह शर्त होगी कि,—

(क) अनुमोदित रसायनज्ञ वस्तुओं के निरीक्षण, नमूना लेने, विश्लेषण पैकिंग, चिन्हांकन और मुहरबन्द करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों का पूर्ण रूप से अनुसरण करेगा,

(ख) अनुमोदित रसायनज्ञ विहित रीति से श्रेणीकरण से संबंधित अभिलेख रखेगा और समय-समय पर विनिर्दिष्ट कालिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेगा, और

(ग) अनुमोदित औषधि विक्रेता एगमार्क लेबलों, एगमार्क प्रतिकृति वाले आधानों, सीलिंग प्लायर आदि की सुरक्षित अभिरक्षा और समुचित लेखा और सरकारी शोध्य रकम की वसूली और उसके समय पर प्रेषण के लिए जिम्मेवार होगा।

(3) अनुमोदित रसायनज्ञ की सेवाओं को कृषि विपणन सलाहकार या सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना समाप्त नहीं किया जाएगा।

(4) किसी अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा दिए गए त्यागपत्र को निदेशालय के सक्षम प्रादेशिक प्राधिकारी को केवल लिखित सूचना देकर और उस अधिकारी से रसायनज्ञ द्वारा अद्यतन श्रेणीकरण विवरणी सहित निदेशालय को एगमार्क लेबल और सीलिंग प्लायर आदि लौटाने की बाबत उस अधिकारी के कुछ देय न होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात स्वीकार किया जा सकेगा।

(5) रसायनज्ञ को दिया गया अनुमोदन कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि यह विश्वास करने के कारण मौजूद हैं कि रसायनज्ञ श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए विशिष्ट अनुदेशों या प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने अनुमोदन की शर्तों में से किसी का अतिक्रमण किया है :

परन्तु ऐसा तब किया जा सकेगा जब अनुमोदित रसायनज्ञ को ऐसे कारण बताने का अवसर दे दिया गया हो कि क्यों न उसका अनुमोदन वापस लिया जाए।

10. श्रेणी अभिधान चिन्ह :—(1) श्रेणी अभिधान चिन्हों में विभिन्न प्रकार के एगमार्क लेबल, अर्थात् टाई आन लेबल, पेस्ट आन लेबल, वेदिरोल लेबल आदि सम्मिलित होंगी प्रत्येक एगमार्क लेबल पर ऐसे अक्षर होंगे जिनसे शृंखला और क्रम संख्या का पता लग सके।

(2) राज्य प्राधिकारी और अनुमोदित प्रयोगशालाएं एगमार्क लेबलों की अपनी अपेक्षाएं निदेशालय से प्राप्त करेंगे।

(3) एगमार्क लेबलों के स्थान पर "एगमार्क प्रतिकृति" का प्रयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ने इस संबंध में अनुज्ञा दे दी है।

(4) विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर एगमार्क लेबल के स्थान पर "एगमार्क प्रतिकृति" के प्रयोग की अनुज्ञा दी जा सकेगी परन्तु जब तक कि आवेदक कम से कम पूर्ववर्ती दो वर्ष तक प्राधिकरण प्रमाणपत्र का धारक रहा हो और उस अवधि के दौरान उसका श्रेणीकरण कार्य समाधानप्रद रहा हो, और आवेदक ने प्रति वर्ष कम से कम 50 हजार एगमार्क लेबलों का प्रयोग किया हो। तथापि, अलग-अलग मामलों के गुणावगुण पर निर्भर करते हुए इन शर्तों को शिथिल किया जा सकेगा।

(5) "एगमार्क प्रतिकृति" वाले आधानों पर छपाई और या उनका विनिर्माण केवल ऐसे मुद्रणालय या विनिर्माण एकक द्वारा किया जाएगा जिसे कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मान्यता दी गई है।

(6) "एगमार्क प्रतिकृति" के प्रयोग के लिए जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उसके अतिक्रमण की दशा में बिना सूचना दिए दी गई अनुज्ञा वापस ले ली जाएगी।

11. पैकिंग और चिन्हांकन :—(1) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार श्रेणीकृत किसी वस्तु को ऐसे ढंग से और ऐसे प्रकार के चिन्हांकन और पैक आकार का प्रयोग करते हुए ऐसे भार या संख्या में पैक किया जाएगा जो उक्त वस्तु के लिए विहित की गई है।

परन्तु किसी श्रेणीकृत वस्तु के पैकिंग के ढंग में शिथिलकरण/उपांतरण भी क्षेत्र की विनिर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्राधिकृत पैकर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) एगमार्क श्रेणीकृत वस्तु वाले प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, ऐसा ब्यौरा भी होगा जैसा उक्त वस्तु के लिए विहित है जैसे प्राधिकरण प्रमाणपत्र सं., खाट 1 बैच सं., पैकिंग की तारीख, पैकिंग का स्थान, शुद्ध भार आदि।

(3) एगमार्क श्रेणीकृत वस्तु के पैकेजों पर लगाए गए प्राइवेट चिन्हें, यदि कोई हो, उस पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी को वर्णित करने वाले नहीं होंगे।

(4) ऐसी वस्तुओं की बाबत, जहां अवसान अवधि विहित की गई है, "अवसान की तारीख" पैकेज पर स्पष्ट रूप से चिन्हित की जाएगी।

12. एगमार्क के अधीन श्रेणीकरण का निलंबन श्रेणी अभिधान चिन्ह का जारी किया जाना या रोकना :—श्रेणी अभिधान चिन्ह अर्थात् एगमार्क लेबल या एगमार्क प्रतिकृति वाले आधान, के जारी करने या उसके प्रयोग को कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी सूचना के ऐसी अवधि के लिए रोका जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा जिसे वह बेहतर विपणन के हित में समीचीन समझे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि प्राधिकृत पैकर श्रेणी अभिधान चिन्ह ठीक ढंग से नहीं लगा रहा है या उसके लगाने की संभावना है।

13. प्रभार फीस का संदाय :—प्राधिकृत पैकर निम्नलिखित के संबंध में उपगत खर्च के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्रभार का संदाय करेगा।

(क) प्राधिकरण प्रमाणपत्र देना और उसका आवधिक नवीकरण;

(ख) प्राधिकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना;

(ग) प्राधिकृत पैकर द्वारा नियोजित रसायनज्ञों का प्रशिक्षण, और

(घ) श्रेणी अभिधान चिन्ह से चिन्हांकित अनुसूचित वस्तुओं के क्वालिटी नियंत्रण को, जिसमें ऐसी वस्तुओं का नमूना लेना और निरीक्षण भी सम्मिलित है, प्रभावी बनाने के लिए उपाय, या

(ङ) वस्तुओं के किसी भी वर्ग के विक्रय को बढ़ाने के लिए किया गया कोई प्रचार।

14. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति.—प्रत्येक प्राधिकृत पैकर मांगे जाने पर किसी भी अनुसूचित वस्तु की बाबत कृषि विपणन सलाहकार को सम्यक् रूप से किसी अन्य प्राधिकारी अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1) एगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र : निर्यात के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन श्रेणीकृत और चिन्हित वस्तु ऐसे ऐगमार्क श्रेणीकरण प्रमाणपत्र से आवृत की जाएगी जिसे प्राधिकृत पैकर के अनुरोध पर इस निमित्त कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी विहित प्ररूप में जारी करेगा।

(2) किसी ऐसे निर्यातकर्ता को ऐगमार्क श्रेणीकृत परेषण के विक्रय की दशा में, जो प्राधिकृत पैकर नहीं है, ऐगमार्क के श्रेणीकरण प्रमाणपत्र निर्यातकर्ता के पक्ष में पृष्ठांकित किया जा सकेगा परन्तु तब जबकि—

(क) प्राधिकृत पैकर विक्रय के पश्चात भी श्रेणीकृत पैकेजों की जिम्मेदारी के बारे में क्षतिपूर्ति देता है, और

(ख) निर्यातकर्ता यह घोषणा करता है कि श्रेणीकृत परेषण का का निरीक्षण कर लिया गया है और से संविदा में यथा विनिर्दिष्ट आयातकर्ता की क्वालिटी अपेक्षाओं के अनुरूप पाया गया है।

16. उपभोक्ता की व्यथाओं और शिकायतों का प्रतितोषण: —(1) ऐगमार्क श्रेणीकृत उत्पादों की बाबत उपभोक्ताओं की शिकायत और व्यथा संबद्ध उत्पाद की ऐगमार्क लेबल संख्या, पैकिंग का स्थान, व्यापार नाम आदि और विक्रेता के नाम और पते की बाबत पूर्ण विशिष्टियां देते हुए कृषि विपणन सलाहकार को की जाएंगी।

(2) जहां शिकायत सही पाई जाए वहां कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो मिथ्या श्रेणीकरण आदि के लिए की जाए संबंध प्राधिकृत पैकर और या श्रेणीकृत उत्पाद के विक्रेता को जैसा विनिश्चय किया जाए, यह अनुदेश देगा कि वह ऐसा अनुदेश जारी करने के तीस दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उत्पाद निःशुल्क बदल दें।

(3) शिकायतकर्ता यदि ऐसा चाहे, निदेशालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रयोगशाला से भी नमूने का विश्लेषण करा सकेगा।

(4) यदि शिकायतकर्ता निदेशालय के अन्वेषण के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह केन्द्रीय ऐगमार्क प्रयोगशाला द्वारा नमूने के विश्लेषण का अनुरोध कर सकेगा और उस प्रयोगशाला का विनिश्चय अंतिम होगा।

17. प्रतिकर के लिए प्रमाण:—(1) जहां ऐगमार्क श्रेणीकृत उपज, पर चिन्हांकित श्रेणी अभिधान के लिए विहित क्वालिटी की परिभाषा के अनुरूप नहीं पाई जाती है और वितरकों से संबंधित, न कि प्राधिकृत पैकरों से, ऐसे उत्पाद पर से श्रेणी अभिधान चिन्ह रद्द किए जाते हैं या हटाए जाते है तो पश्चातवर्ती जब कृषि विपणन सलाहकार द्वारा ऐसा अनुदेश दिया जाए, पूर्व कथित को श्रेणी अभिधान चिन्ह के हटाए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि को पूरा करेगा और ऐसी हानि का अनुमान उस अतिरिक्त मूल्य के आधार पर लगाया जाएगा जो उचित रूप से श्रेणीकृत उत्पाद के उन्नत उत्पाद की तत्समान मात्रा के वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक अभिप्राप्त होता।

(2) किसी एक उपभोक्ता की ऐसी शिकायत के बारे में जहां किसी भी कारणवश निःशुल्क माल को बदलना संभव न हो वहां प्राधिकृत पैकर, जहां उसे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा ऐसा अनुदेश दिया जाए, शिकायतकर्ता को कैशमैमो के अनुसार संदत्त वास्तविक कीमत या उपज की तुल्य क्वालिटी और उपज की समान मात्रा की वर्तमान बाजार कीमत के आधार पर प्रतिपूर्ति करेगा।

18 प्रवेश, निरीक्षण और तलाशी लेने की शक्ति:—(1) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसी वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा जिसके संबंध में अधिकारी के पास यह विश्वास करने का यह कारण है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाना प्रतीत होता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अभिग्रहण से संबंधित धारा 102 के उपबंध उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक अभिग्रहण को लागू होंगे।

(3) यदि प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी वस्तु का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है तो उक्त अधिकारी संबंधित परिसर या स्थापन के स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि पर इस लिखित आदेश की तामील कर सकेगा कि वह उक्त अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वस्तु को या उसके भाग को न तो हटाएगा न अलग करेगा और न ही अन्यथा उससे संबंधित कोई संव्यवहार करेगा।

(4) यदि प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार अभिग्रहीत या विरुद्ध वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयणीय है या ऐसा करना अन्यथा लोकहित में है तो वह ऐसी वस्तु का विहित रीति से व्ययन कर सकेगा, अर्थात्—

(क) प्राधिकृत अधिकारी अभिग्रहीत या विरुद्ध परेषण। पैकेज वस्तु के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें तारीख स्थान और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसमें सामग्री अभिग्रहीत की गई है। या विरुद्ध की गई है,, वस्तु का नाम पैकेज की संख्या, पैकेज का आकार, पैकिंग का ढंग, व्यापार ब्रांड लेबल का विवरण। आधानों पर प्राइवेट व्यापार चिन्ह पैकेज आदि पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्हों का विवरण उपदर्शित होगा और संबद्ध व्यक्ति और दो साक्षियों के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(ख) इस प्रकार अभिग्रहीत विरुद्ध कुल पैकेजों में से अधिकारी कोई से तीन पैकेज निदर्शन चुन सकेगा और उन्हें एक-एक करके और पृथक रूप से उचित रूप में मुहरबंद करवा सकेगा जिस पर अधिकारी, परिसर के स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत प्रतिनिधि और दो साक्षियों के हस्ताक्षर होंगे। एक मुहरबंद पैकेज उचित रसीद देकर स्वामी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को दिया जाएगा और शेष दो मुहरबंद पैकेज अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा अपने पास रखे जाएंगे।

(ग) जहां किसी वस्तु का अभिग्रहण श्रेणी अभिधान चिन्ह के ऐसे संदिग्ध कूटकरण के कारण किया जाता है, जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 5 के अधीन कार्रवाई की जा सके या श्रेणी अभिधान चिन्ह से ऐसे संदिग्ध अप्राधिकृत चिन्हांकन के कारण किया जाता है जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 4 के अधीन कार्रवाई की जा सके वहां उक्त अधिकारी ऊपर (क) और (ख) के अनुसार कार्रवाई पूरी करने के पश्चात् इस बात की अनुज्ञा दे सकेगा कि शेष आधान पैकेज ऐसे ढंग से खोले जाएं कि आधानों पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह अविकल रहें और उनकी अंतरवस्तु ऐसे व्यक्ति को

संबद्ध व्यक्ति को लौटाई जा सके जिससे परेषण अभिग्रहीत किया गया है। श्रेणी अभिधान चिन्ह वाले खाली आधान अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिए जाएंगे।

(घ) जहां अभिग्रहीत या निरुद्ध परेषण "मिथ्या श्रेणीकृत" घोषित किया गया है या ऐसा होने का संदेह है, जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 5 (क) के अधीन कार्रवाई की जा सके वहां अधिकारी ऊपर (क) और (ख) के अधीन विहित कार्रवाई पूरी करने के पश्चात् श्रेणी अभिधान चिन्ह और मुहरों को शेष पैकेजों से हटवा सकेगा और पैकेजों या उनकी अंतर-वस्तु को उस व्यक्ति को वापस दे सकेगा जिससे उसे अभिग्रहीत किया गया था। श्रेणी अभिधान चिन्ह और मुहरें या ऐसे खाली आधान जिनके ऊपर श्रेणी अभिधान चिन्ह छपे हुए हैं अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए अधिकारी द्वारा अपने पास रखे जाएंगे।

(ङ) जहां एगमार्क श्रेणीकृत पैकेज उन पर उपदर्शित अवसान अवधि के पश्चात् के कारण बाजार से अभिग्रहीत किए जाते हैं वहां प्राधिकृत अधिकारी संबद्ध व्यक्ति पर उक्त पैकेज न बेचने के लिए लिखित आदेश की तामील कर सकेगा और संबद्ध प्राधिकृत पैकर को उक्त पैकेज बाजार से तुरंत हटाने के लिए एक रजिस्ट्रीकृत सूचना जारी कर सकेगा और यदि ऐसा संबद्ध व्यक्ति जिससे पैकेज अभिग्रहीत किए गए हैं, ऐसा चाहता है तो अधिकारी उस प्रकार अभिग्रहीत/निरुद्ध सभी पैकेजों से श्रेणी अभिधान चिन्ह हटा सकेगा और उसके पश्चात् ऐसे पैकेज को संबद्ध व्यक्ति को वापस कर सकेगा जिससे वह अभिग्रहीत किए गए थे।

20 अपील :—(1) उक्त विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति संबद्ध प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 15 दिन के भीतर कृषि विपणन सलाहकार को अपील कर सकेगा।

(2) कृषि विपणन सलाहकार संबद्ध प्राधिकारी से ऐसी दस्तावेजें, मंगा सकेगा और ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उपयुक्त, आदेश पारित कर सकेगा जो संबंद्ध पक्षकारों के लिए अंतिम और आबद्ध कर होंगे। परन्तु ऐसे मामलों में जहां कृषि विपणन सलाहकार सक्षम प्राधिकारी है, वहां अपील प्राधिकारी केंद्रीय सरकार होगी।

[सं 21-14/87-एम-2]
सरला गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 17th May, 1989

G.S.R. 434.—Whereas the draft General Grading and Marketing Rules, 1988 were published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India, Ministry of Agricultural (Department of Rural Development) GSR No. 206 dated 26-3-88 in the Gazette of India, Part-II Section-3, Sub-section (i) dated 26th March, 1988 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of fortyfive days from the date on which copies of the Gazette, containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on 19-4-88;

And, whereas, the objections/suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-3 of the said Act and in supersession of the General Grading and Marking Rules, 1937, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and applications.—(1) These rules may be called the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) They shall apply to all articles of agricultural and other produce included in the Schedule to the Act.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act means the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(b) "Agmark grading" means grading of an article in accordance with the grade standards prescribed under the provisions of the Act;

(c) "Agmark label" means the label specifying name of commodity, grade designation and bearing prescribed insignia;

(d) "Agmark replica" means a grade designation mark, in lieu of Agmark label consisting of prescribed design with the word "AGMARK" and the Certificate of Authorisation number;

(e) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(f) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted Certificate of Authorisation to grade designation marks may be applied.

(g) "Authorised premises" means the premises specified in the Certificate of Authorisation where alone the grade designation marks may be applied;

(h) "Approved Chemist" means Chemist approved by the competent authority to undertake Agmark grading;

(i) "Approved laboratory" means laboratory approved by the competent authority for testing of an article for Agmark grading.

(j) "Central Agmark Laboratory" means the apex laboratory of the Directorate of Marketing and Inspection.

(k) "Certificate of Authorisation" means a certificate in prescribed performa issued under these rules authorising a person or body of persons to grade and mark an article with grade designation marks;

(l) " Certificate of Agmark Grading" means a certificate in prescribed performa issued by an authorised Officer in respect of Agmark graded consignment meant for export.

(m) "Consumer" means a person or a body of persons who has purchased the article for personal, domestic or household use or consumption.

(n) "Directorate" means Directorate of Marketing and Inspection of the Government of India;

(o) "Marking" includes stamping grade designation mark on an article or affixation of Agmark labels or printing/stencilling of Agmark replica on the covering or container.

(p) "Prescribed" means prescribed under Rules or instructions issued under the provisions of the Act;

(q) "Regional Agmark Laboratory" moons a laboratory set up by the Directorate of Marketing and Inspection for testing schedule articles.

(r) "Trade Brand Label" includes private marks, brand, label, pictorial representation, used or proposed to be used by an authorised packer.

(s) "Date of expiry" means the date by which the product should be consumed.

3. Grant of Certificate of Authorisation:—(1) Any person or body of persons desirous of being authorised to grade and mark an article under the provisions of the Act shall apply to the Agricultural Marketing Adviser or any other officer of the Central or State Government authorised by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) An application for authorisation shall be accompanied by,—

(a) Proprietorship declamation or partnership deed or Memorandum and Articles of Association or Bye-laws of the Society, as the case may be;

(b) blueprint of the premises proposed to be used to grade and mark the commodity;

(c) ownership declaration on non-judicial stamp paper about the premises or the consent of the owner of the premises;

(d) consent of approved laboratory, grinding mill etc, wherever applicable;

(e) specimen copies of trade brand label, if any, alongwith declaration about ownership of the trade brand label and an undertaking to use the same, on permission, for Agmark graded product only;

(f) prescribed fee, if any, for grant of Certificate of Authorisation; and

(g) any other particulars as may be specified from time to time.

(3) An application for authorisation shall be signed by the proprietor, partner or the Managing Director of the firm or by any other person authorised to sign any declaration on behalf of the firm. The name and designation of the person signing the application shall be clearly recorded in the application.

(4) The application for authorisation shall be submitted through—

(a) the concerned State authority and/or office of the Directorate in respect of grading for domestic market, and

(b) the nearest office of the Directorate in respect of grading for export.

(5) On receipt of the application authorisation, the concerned authority shall make necessary arrangements for verification of the bonafides of the applicant and inspection of the premises, laboratory, processing units etc., and on being satisfied that the applicant is a fit and proper person to receive the Certificate of Authorisation, shall forward the application with recommendation for issue of certificate of Authorisation to the competent Authority.

(6) A Certificate of Authorisation shall be issued to the applicant by the Agricultural Marketing Adviser or any officer of the Central or State Government authorised by the Agricultural Marketing Adviser.

(7) Each Certificate of Authorisation shall state—

(a) the name, style and address of the authorised packer;

(b) the article to which alone the grade designation marks may, under the Certificate, be applied;

(c) the premises at which alone the grade designation marks may be applied;

(d) the period for which the Certificate is valid; and

(e) the name of approved laboratory, processing unit, trade brand label, etc., wherever applicable.

(8) It shall be the condition of every certificate of authorisation—

(a) that grade designation marks shall be applied only to the article(s) mentioned in the Certificate of Authorisation, during the validity period and at the premises therein mentioned;

(b) that during the operation of the Certificate, the authorised packer shall, at all reasonable times, give access to the premises named therein to any person duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser and shall afford him facilities for ascertaining that marking is correctly performed;

(c) that the authorised packer shall keep a record of the number of packages marked with each grade designation mark and will permit any person duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser to examine the record;

(d) that the authorised packer shall permit any person duly authorised by Agricultural Marketing Adviser to open and inspect any package bearing a grade designation mark or to take samples of any graded produce, provided that all samples shall be paid for;

(e) that any person duly authorised by the Agricultural marketing Adviser may cancel or remove a grade designation mark from any produce, should such produce be found to be not conforming to the definition of quality prescribed for the grade designation assigned;

(f) that all the rules made under the Act and all instructions relating to grading and marking of an article under provisions of the Act which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him/her from time to time shall be observed;

(g) that the authorised packer shall be responsible to prohibit the sale and arrange for withdrawing from market, after the date of expiry, wherever prescribed all the packages graded and marked by him; and

(h) that the authorised packer shall be responsible if any person representing the firm indulges in any malpractices or obstructs the authorised officer in discharge of his official duties.

(i) that the authorised packer shall hand over the Certificate of Authorisation to Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him/her on demand in writing at any time and obtain a proper receipt therefor.

4. Renewal of Certificate of Authorisation.—(1) The certificate of authorisation shall be valid, normally, for the period ending financial year from the date of issue and thereafter, will be renewed, on the basis of grading performance and on application by the packer, for subsequent financial years.

(2) The application for renewal of the certificate shall be submitted in the prescribed form alongwith the certificate of authorisation and fee for renewal, as may be prescribed, before expiry of the validity period and no application for renewal of certificate of authorisation shall be entertained beyond 30 days of expiry of validity period.

(3) On receipt of the application for renewal and after verifying the grading performance and payment of Government dues, the competent authority, namely, Agricultural Marketing Adviser or any officer of the Directorate of State Government authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf, will renew the certificate of authorisation for a period not exceeding two years at a time and return the same to the packer.

(4) The authorised packer, having submitted the application for renewal within the prescribed period, and unless specifically informed otherwise, may continue the grading beyond validity period of the certificate in anticipation of its renewal.

(5) If the authorised packer is not desirous of continuing grading work, the certificate of authorisation shall be returned within one month after expiry of validity period to the issuing authority for cancellation.

5. Changes in the Certificate of Authorisation.—(1) Any change in the name, style or address of the authorised packer shall be communicated, alongwith the certificate of authorisation, to the certificate issuing authority, within a period of 30 days, for incorporating the same in the certificate.

(2) If the authorised packer desires any change in the premises, an application along with the requisite documents shall be submitted to the Agricultural Marketing Adviser or any other officer of the Central or State Government authorised in this behalf by the Agricultural Marketing Adviser, who after ascertaining suitability of proposed premises shall record the same in the certificate.

6. Issue of duplicate Certificate of Authorisation.—If the certificate of authorisation is damaged, mutilated or lost, the authorised packer shall apply, in the prescribed form, to the Certificate issuing authority for issue of duplicate certificate alongwith the damaged/mutilated certificate or an affidavit in prescribed form and copy of the F.I.R. for lost certificate and prescribed fee, if any. A duplicate certificate shall accordingly be issued to the authorised packer.

7. Suspension or cancelation of Certificate of Authorisation.—(1) Any certificate of authorisation may be suspended or cancelled by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer of the Directorate or State Government authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf, if he is satisfied,—

(a) that the authorised packer has not applied the grade designation marks correctly; or

(b) that the authorised packer has contravened any of the provisions of the Act; or

(c) that the authorised packer has violated any rule or has failed to comply with any of the instructions issued under the provisions of the Act.

(2) No Certificate of Authorisation shall be suspended or cancelled, unless,-

(a) A notice in writing has been given to the authorised packer, at the address stated in the Certificate of Authorisation, conveying the intention to do so stating the grounds for the proposed action; and

(b) giving him an opportunity to furnish the explanation, if any, within a period of 14 days from the date of receipt of the notice.

(3) If after careful consideration of the explanation furnished, if any, by the authorised packer, the competent authority decided to suspend or cancel the Certificate, the concerned packer shall be so intimated with instructions to discontinue forthwith grading and marking of the commodity and to surrender certificate of authorisation, grading and marking equipments, Agmark labels and containers bearing Agmark replica etc. to the Directorate.

8. Approval of laboratory.—(1) In respect of a commodity which requires laboratory testing for quality assessment, the applicant/authorised packer shall, with the approval of Agricultural Marketing Adviser or any other officer of the Directorate or State Government authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf, either—

(a) set up his own laboratory as per prescribed norms, or

(b) have access to an approved state Grading Laboratory or Cooperative/Association Laboratory or a Private Commercial Laboratory.

(2) Private commercial laboratory shall be accorded approval for grading and marking of an article under provisions of the Act :

Provided there is no State Grading Laboratory at the centre and/or on specific recommendations of the concerned state authorities.

Provided further that the owner of the private commercial laboratory execute a surety bond or gives security deposit for an amount as may be prescribed by the Central Government.

(3) Approval of a laboratory, whether packer's own laboratory, or State grading laboratory, or Cooperative/Association laboratory, or private commercial laboratory, may be withdrawn by the competent authority if there are sufficient reasons to believe that the grading and marking is not correctly done and or that the rules and instructions issued thereof are not followed provided that a 14 days' notice, in writing, shall be given to the owner of the laboratory, and in an opportunity given for showing cause why the approval should not be withdrawn.

9. Training and approval of chemist.—(1) A chemist may be approved by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer of the Directorate or the State Government authorised by Agricultural Marketing Adviser for grading and marking of an article under provisions of the Act provided—

(a) he/she possesses the minimum prescribed qualification, and

(b) he/she successfully completes the prescribed training in the analysis and procedure for grading and marking of the commodity.

(2) It shall be a condition of approval of Chemist :—

(a) that the approved Chemist shall strictly follow the instructions issued for inspection, sampling, analysis, packing, marking and sealing of the article;

(b) that the approved Chemist shall maintain grading record in the prescribed manner and ensure timely submission of the periodical returns as may be specified from time to time; and

(c) that the approved Chemist shall be responsible for safe custody and proper accounting of Agmark labels, Agmark replica bearing containers, sealing pliers, etc., and for realisation and timely remittance of Government dues.

(3) The services of an approved chemist shall not be terminated without prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any other duly authorised officer, in this behalf.

(4) Resignation tendered by an approved chemist may be accepted only after written intimation to the concerned Regional Officer of the Directorate and after getting a clearance from that officer in respect of surrendering Agmark labels and sealing pliers, etc., by the Chemist alongwith upto date grading returns to the Directorate.

(5) The approval accorded to the Chemist may be withdrawn by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer duly authorised in this behalf if there are reasons to believe that the Chemist has failed to comply with the prescribed instructions or procedures for grading and marking or violated any of the conditions of approval :

Provided that an opportunity shall be given to the approved Chemist for showing cause as to why the approval should not be withdrawn.

10. Grade designation marks.—(1) Grade designation marks shall consist of Agmark labels of different types, namely, tie-on-labels, paste on-labels, Banderol labels, etc. Each Agmark label shall carry letter|s) indicating series and serial number.

(2) The State authorities and the approved laboratories shall obtain their requirements of Agmark labels from Dte.

(3) Use of "Agmark Replica" in lieu of Agmark labels will be allowed only by such authorised packers to whom specific permission to this effect has been granted by the Agriculture Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf.

(4) The permission to use "Agmark Replica" in lieu of Agmark labels may, on receipt of application in the prescribed form, be granted provided that the applicant has been holder of certificate of authorisation for atleast two preceding years and uring which the grading performance has been satisfactory and has used not less than 50 Thousand Agmark labels per annum. However, depending on the merit of individual case, these conditions may be relaxed.

(5) The "Agmark Peplica" bearing containers shall be printed and/or manufactured only by such printing press or manufacturing unit which has been permitted for the purpose by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf.

(6) It shall be the condition for use of Agmark Replica that the detailed instructions issued for the purpose shall be strictly adhered to and any violation thereof shall lead to

withdrawal of permission so granted without any notice.

11. Packing and marking.—(1) An article graded in accordance with the provisions of the Act, shall be packed in the manner and using the type of packaging material and the pack sizes, by weight or number as prescribed for the said article :

Provided that relaxation/modification in the mode of packing of a graded article may be allowed, on receipt of written request from the authorised Packer, by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf, to meet the specific requirement of the buyer.

(2) Every package containing Agmark graded article will, in addition to the grade designation mark, carry such details like certificate of authorisation number lot/batch number, date of packing, place of packing, net weight etc. as prescribed for the said article.

(3) Private marks, if any, applied on the packages of Agmark graded article shall not represent quality or grade different from that indicated by the grade designation mark affixed thereon.

(4) In respect of such articles where expiry period has been prescribed, the 'date of expiry' shall be prominently marked on the packages.

12. Suspension of Grading under Agmark.—Withholding issue of grade designation marks.—The issue or use of grade designation marks i.e. Agmark labels or Agmark replica bearing containers, may be withheld or withdrawn by the Agricultural Marketing Adviser or a person authorised by him in this behalf without any notice, for such a period as he may consider expedient in the interest of better marketing, if he is satisfied or has reasons to believe that the authorised packer is not applying or is not likely to apply, grade designation marks correctly.

13. Payment of charges/fees.—The authorised packer shall pay such charges as may be prescribed by the Central Government from time to time towards the expenses incurred in connection with the—

(a) grant and periodical renewal of Certificate of Authorisation;

(b) issue of duplicate Certificate of Authorisation.

(c) training of Chemists employed by the authorised packer; and

(d) measures for enforcing the quality control of scheduled articles marked with grade designation mark including testing of samples and inspection of such articles, or

(e) with any publicity work carried out to promote the sale of any class of articles.

14. Power to obtain information.—Every authorised packer shall furnish, on demand, to the Agricultural Marketing Adviser or any other duly authorised officer such information, return or report in respect of any of the scheduled articles which the authority may consider necessary for carrying out the provisions of the Act.

15. Certificate of Agmark grading.—(1) Every consignment of a scheduled article graded and marked, under the provisions of the Act, for export shall be covered by a Certificate of Agmark Grading which shall be issued in prescribed form on request, to the authorised packer by an officer authorised in this behalf by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In the event of sale of Agmark graded consignment to an exporter who is not an authorised packer, the Certificate of Agmark grading may, on written request of the authorised packer, be endorsed in favour of the exporter provided—

(a) that the authorised packer furnish an undertaking about the eresponsibility of the graded packages even after sale; and

(b) that the exporter furnishes a declaration that the graded consignment has been examined and found to be conforming to the quality requirements of the importer as specified in the contract.

16. Redressal of consumers' grievances and complaints.—(1) Complaints and grievances of the consumers in respect of Agmark graded products shall be made to the Agricultural Marketing Adviser giving full particulars regarding Agmark label number, place of packing, trade brand, etc., of the concerned product and the name and address of the seller.

(2) Wherever the complaint is found to be genuine, the Agricultural Marketing Adviser or an officer duly authorised in this behalf shall, without prejudice to other action as may be taken for misgrading etc., direct the concerned authorised packer and or the seller of graded product, as may be decided for free-of cost replacement of the product to the complainant within 30 days of the issue of such direction.

(3) The complainant, if so desired, may also get the sample analysed from any other laboratory recognised by the Directorate.

(4) In case he is not satisfied with the result of the investigation of the Directorate, the complainant may ask for analysis of the sample by the Central Agmark Laboratory, whose decision shall be final.

17. Norms for compensation.—(1) Wherever an Agmark graded produce is found to be not conforming to the definition of the quality prescribed for the grade designation marks on the produce and the grade designation marks are cancelled or removed from such produce belonging to the distributes and not to authorised packers, the latter shall, when so directed by the Agricultural Marketing Adviser, make good to the former any loss sustained as a result of the removal of grade designation mark, the loss being estimated on the basis of the additional value that the properly graded produce would have obtained in the market over and above the current market value of the corresponding quantity of the ungraded produce.

(2) In respect of complaint of an individual consumer where free of cost replacement may not be possible for any reason whatsoever, the authorised packer and/or the seller of graded product, as may be decided, shall, when so directed by the Agricultural Marketing Advise , reimburse to the complainant the actual price paid as per cash memo or on the basis of current market price of comparable quality and corresponding quantity of the produce.

18. Powers of entry, inspection and search.—Any officer duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser may, in exercise of the powers conferred under Section 3(A) of the Act, enter any premises, at any reasonable time, and inspect in storage, processing, packaging and transit and search for the Agricultural produce against any contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

19. Seizure, detention and disposal.—(1) An officer duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser may, in exercise of the powers conferred under Section 3(B) of the Act, seize any article in relation to which the Officer has reason to believe that any provision of the Act or rules made thereunder has been or is being or appears to have been contravened.

(2) The provisions of Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to seizure, shall apply to every seizure made under sub-rule (1).

(3) If the authorised officer finds it not practicable to seize any such article, the said officer may serve on the owner or authorised representative of the owner of the concerned premises or establishment, a written order that

he|she shall not remove or part with or otherwise deal with the article except with the previous permission of the said officer.

(4) If the authorised officer is of the opinion that the article so seized or detained is subject to speedy or natural decay or it is otherwise expedient in the public interest to do so, he may dispose of such article in the manner as prescribed, namely :—

(a) The authorised officer shall prepare a detailed report in respect of the consignment|packages|article seized or detained indicating the date, place, name and address of person from whom the material is seized|or detained, name of the commodity, number of packages, size of packing, mode of packing, particulars of trade brand label|private trade marks on the containers, particulars of the grade designation marks affixed on the packages, etc., and obtain signature of the person concerned and two witnesses on the report;

(b) Out of the total packages so seized|detained, the officer may select, at random, three packages & get the same suitably sealed, individual and separately, bearing signatures of the officer, the owner of authorised representative of the owner of premises/establishments and two witnesses. One sealed package shall be handed over to the owner or his authorised representative under proper acknowledgement and the remaining two sealed packages shall be retained by the said officer for proceeding under the Act;

(c) Where the article is seized for suspected counterfeiting of grade designation marks, attracting action under section 5 of the Act or suspected unauthorised marking with grade designation mark, attracting action under section 4 of the Act, the said officer may, after completing action as per (a) & (b) above, allow the remaining containers|packages to be opened in such a manner that the grade designation marks affixed on the containers|packages remain intact and the contents thereof may be returned to the concerned person from whom the consignment is seized. The empty containers bearing the grade designation mark shall be taken in custody by the said officer for preceeding under the Act;

(d) Where the consignment seized or detained has been declared or suspected to be "misgraded", attracting action under Section 5 (A) of the Act, the officer may, after completing action as prescribed under (a) and (b) above, get the grade designation marks and seals removed from the remaining packages, and return the packages or contents thereof to the person from whom seized. The grade designation marks and seals or the empty containers with the grade designation marks printed thereon shall be retained by the officer for proceeding under the Act;

(e) Where the Agmark graded packages are seized from the market for being sold after the lapse of the expiry period indicated thereon, the authorised officer may serve a written order on the concerned person not to sell the said packages and issue a registered notice to the concerned authorised packer to withdraw the said packages from the market immediately or if the concerned person from whom the packages are seized, so desires, the officer may remove the grade designation marks from all the packages so seized|detained and thereafter return such packages to the concerned person from whom they were seized.

20. Appeal —(1) An appeal may be preferred to the Agricultural Marketing Adviser within 15 days from the date of decision of the concened competent authority by the person aggrieved by the said decision.

(2) The Agricultural Marketing Adviser may call for such documents from the concerned authority and may after such enquiry as considered necessary pass suitable orders which shall be final and binding on all parties concerned :

Provided in the cases where Agricultural Marketing Adviser is the competent authority, the appellate authority will be the Central Government.

[No. 21-24|87-M-II]
SARALA GOPALAN, Jt. Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1989

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका जहां तक सेवा शिल्प वैज्ञानिक के पद से संबंध है समेकित मात्स्यिकी परियोजना, (जीवन बेड़ा सेवा केन्द्र) भर्ती नियम, 1983 का अतिक्रमण करते हुए ऐसे अतिक्रमण करने से पहले की गयी अथवा किए जाने के लिए छोड़ी गई बातों के सिवाय एतद्द्वारा समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन में सेवा शिल्प वैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समेकित मात्स्यिकी परियोजना (जीवन बेड़ा सेवा केन्द्र) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है/हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सेवा शिल्प वैज्ञानिक (एल.एस.ए.)	1* (1989) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रुपये	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक ढील दी जा सकती है । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा मत्स्य विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता । अथवा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, बम्बई से मत्स्य-विज्ञान में डिप्लोमा अथवा समकक्ष अर्हता । (2) जीवन रक्षक उपकरणों तथा फीणिंग गियर प्रौद्योगिकी के रख रखाव सफाई आदि करने का 3 वर्ष का अनुभव । (3) लाइफ रेफ्ट प्रबंध द्वारा जारी किया गया लाइफ रेफ्ट इन्फ्लेटेबल का निरीक्षण और सेवा में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र । टिप्पण : (1) अर्हताएं अन्यथा सुझाहित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : कालम 12 में बताई गई स्तर तक	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : सीनियर तकनीशियन और मात्स्यकी सहायक से संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा और सरकार/ सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए एम.एम.डी. मान्यता प्राप्त इनफ्लेटेबल लाइफ रैफ्ट सर्विसिंग ट्रेनिंग सर्टीफिकेट ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा ।
13	14
ग्रुप 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) : 1. संबंधित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय के विभाग/कार्यालय प्रधान, जो कि नियुक्त प्राधिकारी हैं—अध्यक्ष । 2. कृषि और सहकारिता विभाग में संबंधित विभाग के अवर सचिव उप-सचिव—सदस्य । 3. वानिकी प्रभाग के मामले में संयुक्त आयुक्त और उप वन महानिरीक्षक—सदस्य । 4. ग्रुप "ए" के राजपत्रित अधिकारी जिनके अधीन ग्रुप बी के संबंधित अधिकारी को कार्य करना है कर रहे हैं—सदस्य । 5. अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति के उसी पद के अधिकारी जो कि संबंधित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय से संबंध रखते हों अथवा ऐसा अधिकारी जो स्थानीय रूप से स्थित दूसरे कार्यालय में कार्य कर रहा हो—सदस्य ।	सीधे भर्ती करने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । ... पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । यदि आयोग द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की एक अन्य बैठक बुलाई जाएगी ।

[सं. 5-33/84-मा (प्रशासन 1)]
के.वी. श्रीनिवासन, अवर सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 19th May, 1989

G.S.R. 435.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Fisheries Project (Life Raft Service Station) Recruitment Rules, 1983 in so far as they relate to the post of Service Technologist, except as respects things done or omitted to be done before such superession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Service Technologist in the Integrated Fisheries Project, Cochin, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may eb called the Integrated Fisheries Project (Life Raft Service Station) Recruitment Rules, 1988; and

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters related to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Service Technologist (LSA)	1* (1989)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs.2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.	Selection	No	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

*Subject to variation dependent on workload.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.
8	9	10
Essential : (i) Master's degree in Zoology or Degree in Fisheries Science of a recognised University or equivalent. OR Diploma in Fisheries Science from the Central Institute Fisheries Education, Bombay or equivalent. (ii) 3 years experience in handling/servicing of life saving appliances and fishing gear technology. (iii) Training Certificate in inspection and servicing of Inflatable Life Raft issued by the Life Raft Manufacture. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational Qualifications : To be the extent indicated in Col. 12.	2 years.

Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
By promotion failing which by direct recruitment.	PROMOTION : Gear Technician and Fishery Assistant with 8 years regular service in the respective grade and possessing MMD Approved Inflatable Life Raft Servicing Training Certificate issued by Govt./Government Undertaking.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Ptomotion Committee (for considering promotion and confirmation) : 1. Head of Department/Office of the Attached/Subordinate office concerned, who is the appointing authority. Chairman 2. Under Secretary/Deputy Secretary of the concerned Division in the Department of Agriculture and Cooperation. —Member 3. Joint Commissioner or Deputy IGF in the case of Forestry Division. —Member 4. Group 'A' Gazetted Officer under whom the Group 'B' official concerned is to work/working —Member 5. Scheduled Caste/Scheduled Tribe officer of the appropriate rank either belonging to the Attached/Subordinate office concerned or such an officer working in another office situated locally. —Member	Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 5-33/84-Fy. (Adm.)]

K.V. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1989

सा. का. नि. 436.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतनमान :— उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों, के लिए करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक	एक* (1989) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1800 अचयन द.रो. 50-2300 रु.		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	11
—ग—	
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/प्रोन्नति द्वारा : (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कादर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारण तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं या कृषि और सहकारिता विभाग के पशुपालन प्रभाग के अन्य अधीनस्क कार्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1200-2040 रु. वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। 2. जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी-हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है। प्रोन्नति : केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा के 1200–2040 रु. वेतनमान वाले आशुलिपिक श्रेणी 3 में से, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति पुष्टि आदि के लिए) 1. निदेशक, केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा —अध्यक्ष 2. सहायक अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 14 - 13/88 - एस डी - II]
आर. कन्नीर, अवर सचिव

New Delhi, the 24th May, 1989

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 1989.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post
1	2	3	4	5
Stenographer	*one (1989) * Subject to variation depending on work-load.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-50-2300.	Non selection

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation/promotion.	Transfer on deputation :- 1. Officers holding analogus posts on regular basis, or with 5 years regular service in the scale of Rs. 1200-2040 in other subordinate offices of Animal Husbandry Division of the Department of Agriculture and Cooperation. 2. Possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (English-Hindi). Promotion :-From Stenographer Grade III on the scale of Rs. 1200-2040 of the Central Frozen Semen Producion and Training Institute, Hessarghatta with 5 years regular service in the grade after appointment thereto on regular basis. (The period of deputation/contract including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this Department shall ordinarily not exceed three years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee, Group 'C' (for Promotion, Confirmation etc.) 1. Director of the Central Frozen Semen Production and Training, Institute, Hessarghatta.—Chairman 2. Assistant Research Officer, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta.—Member. 3. One outside Gazetted Officer of the Central/State Government —Scheduled Caste/Scheduled Tribes—Member.	Not applicable

[No. 14-13/88—LD-II]
R. KANDIR, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

सा.का.नि. 437.:—राष्ट्रपति, संविधान, के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" भर्ती नियम, 1960, (ii) भारतीय सर्वेक्षण (इंजीनियर, अधिकारी कोर से भर्ती) नियम, 1950 और (iii) भारतीय महासर्वेक्षक (भारतीय सर्वेक्षण) भर्ती नियम, 1974 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय सर्वेक्षण में समूह "क" के पदों पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारतीय सर्वेक्षण (समूह "क") सेवा नियम, 1989 है।"।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा का गठन:—(1) नियम 7 और 8 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के लिये भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा के रूप में ज्ञात सेवा का गठन किया जाएगा।

(2) परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "उपाबंध" से इन नियमों का उपबंध अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "ड्यूटी पद" से अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सम्मिलित कोई भी पद, भले ही वह स्थाई हो या अस्थाई, अभिप्रेत है

(घ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(च) "किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घ कालिक नियुक्ति के लिए अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में अधिकथित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है/हैं और उसके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं:—

(i) जिसे/जिन्हें सेवा के प्रारंभिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया हो।

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कोई ड्यूटी पद धारित किया होता यदि वह छुट्टी प्रतिनियुक्ति पर न होता उसने अन्यत्र कार्यभार और इस प्रकार का कोई कार्यभार न संभाला होता और वह ऐसा पद धारित करने के लिए उपलब्ध न होता;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है—

(ज) "अनुसूचित जाति" और अनुसूचित जन-जाति" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में है।

(झ) "सेवा" से नियम 2 (1) के अधीन गठित भारतीय सर्वेक्षण (समूह "क") सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ट) "विभागीय उम्मीदवारों" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें सेवा वृत्ति आधार या प्रतिनियुक्ति आधार से भिन्न किसी आधार पर आयोग से परामर्श करने के पश्चात या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है और जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं या उनका किसी ऐसे पद पर धारणा अधिकार है :—

(i) जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट हैं,; या

(ii) सेवा में काडर में लाया गया है और इस प्रकार काडर में लाने की तारीख को सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सम्मिलित किया गया है।

3. श्रेणियां, प्राधिकृत पद संख्या और उसका पुनर्विलोकन:—(1) इन नियमों के प्रारंभ से ही समाकलित ज्येष्ठता वाले सिविलियन और रक्षा अधिकारियों से मिल कर बनने वाली भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा इन नियमों के अनुसार दो अलग-अलग वर्गों में विभाजित हो जाएगी अर्थात् "सिविलियन वर्ग और "रक्षा" वर्ग। सेवा में सम्मिलित पद, उनकी संख्या तथा वेतनमान और उनका सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग के बीच विभाजन उपाबंध (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(2) सरकार अनेक श्रेणियों की पद संख्या समय-समय पर ज भी वह आवश्यक और उचित समझे बढ़ा और घटा सकेगी।

(3) सरकार आयोग से परामर्श के पश्चात अनुसूची 1 से 4 तक में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित करेगी।

(4) सरकार आयोग से परामर्श के पश्चात किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, सेवा की किसी भी उचित श्रेणी में अस्थाई हैसियत से या अधिष्ठाई हैसियत से, जैसा कि वह उचित

समझे, नियुक्त कर सकेगी और आयोग से परामर्श के पश्चात उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

4. सेवा के सदस्य :--(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :-

(क) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन के समय सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात नियम 8 के अधीन इस प्रकार नियत तारीखों से सेवा में नियुक्त व्यक्ति।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे प्रकाशन के पश्चात तत्समान श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति की तारीख से तत्समान श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

5. (1) सेवा में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हता सेवा--भर्ती के दो विभिन्न वर्ग होंगे:-सिविल और रक्षा। इन वर्गों में भर्ती अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार की जाएगी।

(2) परिवीक्षा :--(1) सेवा में कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती द्वारा या ज्येष्ठ काल वेतनमान में समूह "ख" से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा :

परंतु नियंत्रक अधिकारी परिवीक्षा अवधि उस से संबंधित समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई भी विनिश्चय पूर्वतर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात सामान्यतया 8 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उसकी लिखित संसूचना संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर दी जाएगी।

(2) परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थाई नियुक्ति के लिए उचित समझा जाए, नियमित आधार पर उस पर रहने दिया जाएगा और सम्यक् अनुक्रम में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार की यह राय हो कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह कारण अभिलिखित करके ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, उन्मोदित कर सकेगी या उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी जो वह सेवा में नियुक्ति से पूर्व धारित कर रहा था।

(4) परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का ऐसा अनुक्रम पूरा करे और ऐसी परीक्षा और परीक्षण पास करे (जिसके अंतर्गत हिंदी परीक्षा भी है), जो वह परिवीक्षा अवधि समाधानप्रद रूप में पूरी करने की शर्त के तौर पर आवश्यक समझे।

6. वेतन और भत्ते तथा अन्य लाभ :--(1) इन नियमों के प्रख्यापन के समय भारतीय सर्वेक्षण में सेवारत रक्षा अधिकारी वेतन और भत्ते सिविल दरों पर लेंगे किंतु अधिष्ठाई लेफ्टिनेंट कर्नल की पंक्ति से नीचे के प्रत्येक मामले में, जिसमें वे अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण में प्रोन्नति के लिए प्रतिष्टित किया गया है, ज्येष्ठता इंजीनियर कोर में संबद्ध अधिकारी से ऊपर दो अधिकारी और उससे नीचे दो अधिकारियों की परिलब्धियों के औसत के आधार पर इंजीनियर इन-चीफ से परामर्श के पश्चात महासर्वेक्षक द्वारा अवधारित की जाएगी। किसी भी ऐसे अधिकारी को, जिसे भारतीय सर्वेक्षण में प्रोन्नति के लिए प्रतिष्टित किया गया है, दो ऊपर और दो नीचे का लाभ उसी स्तर पर रोके रखा जाएगा भले ही वह किसी भी पंक्ति का हो। इसी प्रकार किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जिसकी सेवा में ज्येष्ठता बाद में परिवर्तित की जाती है उसका वेतन उसकी परिवर्तित ज्येष्ठता के अनुसार फिर से नियत किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे ऊपर के किसी अधिष्ठाई पद पर प्रोन्नति होने पर वे अपने द्वारा धारित पद का सिविल वेतन या सैनिक पद का वेतन, जो भी अधिक हो, ले सकते हैं।

(2) ऐसे रक्षा अधिकारी जिन्हें पहले ही अधिष्ठाई लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे ऊपर के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो अपने द्वारा धारित पद का सिविल वेतन या सैनिक पद का वेतन, जो भी अधिक हो, ले सकते हैं। "दो ऊपर और दो नीचे नियम" के आधार पर इस समय उनके द्वारा ली जाने वाली कुल परिलब्धियों में किसी अंतर को उनका "वैयक्तिक वेतन" समझा जाएगा जो भावी वेतनवृद्धि में अवशोषित हो जाएगा।

(3) भविष्य में भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा (रक्षा वर्ग) में आने वाले अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा का वेतन या इंजीनियर कोर का वेतन और भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा।

(4) रक्षा वर्ग में पद धारण करने वाले अधिकारियों के समतुल्य पद इस प्रकार होंगे,

क्रम सं०	समूह "क" सेवा पद (रक्षा वर्ग)	वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए इंजीनियर कोर में तत्समान पद	मौलिक रैंक के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष
1	2		3
1.	कनिष्ठ काल वेतनमान (2200–4000 रुपये) (उप अधीक्षक सर्वेक्षक)	कैप्टन*	5 वर्ष
2.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (3000–4500 रुपये) (अधीक्षक सर्वेक्षक)	मेजर	11 वर्ष
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (3700–5000 रुपये) (उप निदेशक)	लेफ्टीनेंट कर्नल	16 वर्ष
4.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (4500–5700 रुपये); (निदेशक/उप निदेशक चयन श्रेणी)	कर्नल/ब्रिगेडियर**	20/23 वर्ष
5.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (5900–6700 रुपये) (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	मेजर जनरल	25 वर्ष
6.	महासर्वेक्षक (7300–7600 रुपये), (जहां रक्षा वर्ग से हो)	लेफ्टीनेंट जनरल	28 वर्ष

नोट :

*कम से कम 3 वर्ष की कर्मीशंड सेवा वाले अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण में स्थाई उपनियुक्ति के लिए पेश किया जाएगा ।

*कम से कम 23 वर्ष की गणना योग्य कमीशंड सेवा वाले अधिकारियों को ब्रिगेडियर का रैंक दिया जाएगा ।

7. सेवा का आरंभिक गठन : (1) ऐसे रक्षा अधिकारी, जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण (इंजीनियर अधिकारी कोर से भर्ती) नियम, 1950 के नियम 4 के अनुसार सैनिक ड्यूटी में स्थाई रूप से लौट जाने का विकल्प है, इन नियमों के प्रस्थापन के तीन मास के भीतर ऐसा करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे । ऐसे अधिकारी जो तीन मास की अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे सेवा के आरंभिक गठन की तारीख से रक्षा वर्ग में पदों पर नई सेवा के सदस्य हो जाएंगे । ऐसे अधिकारी जो सेना में वापस जाने का विकल्प देते हैं, इंजीनियर अधिकारी कोर के कोटे के विरुद्ध भारतीय सर्वेक्षण में सेवाधृति के आधार पर अनुसूची 3 में अधिकथित विहित सेवाधृति अवधि के लिए काम करते रहेंगे ।

(2) ऐसे व्यक्ति (जो इंजीनियर अधिकारी कोर से भिन्न हो) जो भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में मूह "क" पद धारित कर रहे हैं और भारतीय सर्वेक्षण में कार्यरत हैं उन पदों या श्रेणियों में सिविलियन वर्ग के पदों पर सेवा के सदस्य हो जाएंगे जो उन पदों या श्रेणियों के तत्समान हैं जो वह नियमित आधार पर धारित कर रहे हैं ।

(3) सेवा की अनेक श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित पद संख्या के वे पद जो आरंभिक गठन के समय न भरे जा सकें उन्हें नियम 8 के अनुसार भरा जाएगा ।

(4) भारतीय महा सर्वेक्षक का पद आरंभिक गठन की तारीख से भारतीय सर्वेक्षक समूह "क" सेवा का भाग होगा ।

8. सेवा को भविष्य में बनाए रखना :—(1) अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में किसी भी रिक्ति को इन अनुसूचियों के अधीन उपबंधित रीति से सिविलियन और रक्षा वर्ग से भरा जाएगा ।

(2) सेवा की अनेक श्रेणियों में भविष्य में सृजित पदों को नीचे उपबंधित रीति से भरा जाएगा :

(क) वे पद जिन पर अनुसूची 1 और 2 में उपवर्णित के अनुसार सिविलियन अधिकारियों को लगाया जायगा ।

(ख) वे पद जिन पर अनुसूची 3 में उपवर्णित के अनुसार इंजीनियर अधिकारी कोर के अधिकारियों को लगाया जाएगा

9. ज्येष्ठता : (क) सिविलियन वर्ग :

(1) सीधी भर्ती : सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण योग्यता के उस क्रम द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसमें उनका आयोग की सिफारिश पर ऐसी नियुक्ति के लिए चयन किया गया है । किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्ति किसी पश्चातवर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे ।

परन्तु जहां ऐसे व्यक्तियों की बाद में पुष्टि उनकी नियुक्ति के समय उनके योग्यता क्रम से भिन्न किसी और क्रम में कर दी जाती है तो उनकी ज्येष्ठता पुष्टि के क्रम के अनुसार होगी, न कि योग्यता के मूल क्रम के अनुसार,

(2) प्रोन्नत व्यक्ति : अनेक श्रेणियों में प्रोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण ऐसी प्रोन्नति के लिए उनके चयन के क्रम में किया जाएगा ।

(3) एक दूसरे के मुकाबले में ज्येष्ठता : अधीक्षण सर्वेक्षक की श्रेणी में सापेक्ष ज्येष्ठता,

(4) उप अधीक्षण सर्वेक्षक और अधिकारी सर्वेक्षक की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण रिक्तियों के रोस्टर के अनुसार किया जाएगा पहली रिक्ति उप अधीक्षण सर्वेक्षक को मिलेगी और अगली रिक्ति अधिकारी सर्वेक्षक की श्रेणी से प्रोन्नत अधिकारी को मिलेगी और इसी प्रकार आगे कार्यवाही होती रहेगी ।

(ख) रक्षा वर्ग :

(1) इंजीनियर कोर से स्थाई उप नियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता उनके अधिष्ठाई कमीशन की तारीख और कोर में सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर होगी ।

(2) सेना में उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता में पुनरीक्षण का प्रभाव यह होगा कि भारतीय सर्वेक्षण में भी उनकी ज्येष्ठता बदल दी जाएगी ।

(3) यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता आरंभिक गठन के समय विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उसका अवधारण सरकार के अधीन ऐसी ही सेवा के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श के पश्चात किया जाएगा ।

(ग) (1) सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग से आने वाले अधिकारियों के बीच एक दूसरे के मुकाबले में कोई ज्येष्ठता नहीं होगी । नियम 7 के अधीन आरंभिक गठन के समय सिविलियन वर्ग या रक्षा वर्ग में किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी

(2) किसी भी श्रेणी में नियम 7 के अधीन सेवा में सम्मिलित किए गए सभी स्थाई अधिकारी उस श्रेणी में बाद में अधिष्ठाई रूप से नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे और किसी भी श्रेणी में सेवा के आरंभिक गठन पर सम्मिलित किए गए सभी अस्थाई अधिकारी उस श्रेणी में बाद में नियुक्त सभी अस्थाई अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे ।

(घ) उपरोक्त उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में सरकार ज्येष्ठता का अवधारण आयोग से परामर्श के पश्चात करेगी

10 निरर्हता : कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को और विवाह के दूसरे पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण है तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

11 रक्षा सेवाओं में सेवा का दायित्व : (1) सिविलियन वर्ग : राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व, तारीख को या उसके पश्चात सिविलियन वर्ग में उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति कोई भी व्यक्ति भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पद पर अधिक से अधिक 4 वर्ष, जिसमें प्रशिक्षण पर लगाया गया समय, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, सेवा करने के दायित्वाधीन होगा परन्तु ऐसे व्यक्ति से—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात,

(ख) सामान्यतया 40 वर्ष की आयु होने के पश्चात ऊपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी

(2) रक्षा वर्ग : (क) स्थाई उपनियुक्ति वाले अधिकारी सेवा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुन: बुलाए गए दायित्वाधीन होंगे

(ख) भारतीय सर्वेक्षण के समूह "क" कादर के रक्षा वर्ग पद संख्या में यह परिकल्पित है कि भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारी अपने सेवा का लगभग 3 चौथाई भाग भारतीय सर्वेक्षण में गुजारेगा और 1/4 भाग सैनिक सर्वेक्षण एकक या अस्थाई प्रतिवर्तन वाले कर्मचारिवृन्द में सैनिक ड्यूटी पर गुजारे गए ।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण और सैनिक सर्वेक्षण सेवा के बीच रक्षा अधिकारियों की अदला-बदली दोनों सेवाओं की अपेक्षा अनुसार इंजीनियर इन चीफ से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी ।

(घ) रक्षा अधिकारियों की सेवा की विशेष शर्तें : रक्षा वर्ग में कार्यरत और भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में स्थाई उपनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी उपबंध 2 में परिवीक्षा, सैनिक ड्यूटी आदि पर परिवर्तन से संबंधित विशेष सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे ।

12. अधिकारियों का भारत और विदेश में सेवा करने का दायित्व : (1) नियुक्त अधिकारी भारत में और विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे ।

(2) नियुक्त अधिकारी भारत में और भारत से बाहर ऐसा प्रशिक्षण लेने और शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के दायित्वाधीन होंगे जैसा सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे ।

13. व्यावृत्ति : इन नियमों की किसी भी बात का क्षमय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंधित आयु सीमा और अन्य रियायतों की छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

14. शिथिलीकरण की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारण अभिलिखित करके आदेश द्वारा और आयोग से परामर्श के पश्चात व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबन्ध में छूट दे सकेगी ।

उपाबन्ध 1

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा का विभाजन और विद्यमान संयुक्त ज्येष्ठता सूची में पद धारियों के लिए सुरक्षा

क. भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा का विभाजन :

(1) विद्यमान संयुक्त कादर को दो स्वतंत्र वर्गों में विभाजित किया जाएगा—एक सिविलियन अधिकारियों के लिए और दूसरा रक्षा अधिकारियों के लिए । भारती सर्वेक्षण समूह 'क' कादर में दोनों वर्गों में पदों का वितरण आरंभ में निम्नलिखित रीति के अनुसार होगा ।

श्रेणी	वेतनमान	पदों की संख्या	
		रक्षा	सिविल
1	2	3	4
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	5900-200-6700 रुपये	5	3
अकृत्यिक चयन श्रेणी निदेशक/उपनिदेशक (चयन श्रेणी)	4500-150-5700 रुपये	19	17
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	3700-125-4700-150-5000 रुपये	23	17
ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	3000-100-3500-125-4500 रुपये	70	90
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)	2200-75-2800-व.रो.-100-4000 रुपये	70	42

(2) भविष्य में दोनों वर्गों में पदों का आवंटन इस प्रकार किया जा सकेगा कि जहां तक संभव हो निम्नलिखित (वांछित) अनुपात तक पहुंचा जा सके :—

श्रेणी	पदों की संख्या	
	रक्षा	सिविल
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	5	3
अकृत्यिक चयन श्रेणी निदेशक/उपनिदेशक (चयन श्रेणी)	27	23
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप निदेशक)	28	31
ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	90	115
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)	59	36

(3) संयुक्त ज्येष्ठता सूची में विद्यमान पदधारियों के लिए सुरक्षा : वर्तमान पदधारियों (रक्षा/सिविल) को, जिन पर इस विभाजन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है निम्नलिखित उपबंधों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी—

(क) ऐसी सभी अधिकारियों (रक्षा/सिविल) को, जिन्हें समाकलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति मिलती किन्तु उन्हें पृथक ज्येष्ठता होने के कारण छोड़ दिया गया अधिसंख्य पद सृजित करके (और इसके अतिरिक्त रक्षा अधिकारियों के मामले में समतुल्य कार्यकारी/अधिष्ठाई सेना रैंक देकर) सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

(ख) किसी विशिष्ट स्तर तक प्रोन्नति के लिए दोनों वर्गों में विद्यमान अधिकारियों के बीच अधिक असमानता नहीं है अर्थात् प्रत्येक स्तर पर मुकाबले के लिए कनिष्ठतम अधिकारियों के आवंटन/ज्येष्ठता वर्ग में अंतर एक वर्ष से अधिक नहीं है परन्तु अधिक असमानता के मामले में प्रभावित अधिकारियों को अधिसंख्य पद सृजित करके (और इसके अतिरिक्त रक्षा अधिकारियों के मामले में समतुल्य कार्यकारी/अधिष्ठाई सेना रैंक देकर) सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

(ग) अन्य प्रभावित रक्षा अधिकारियों को, जो मिली जुली सूची में कनिष्ठ सिविलियन अधिकारियों द्वारा अतिक्रमित हो जाते हैं जबकि वह अन्यथा प्रोन्नति के लिए योग्य हैं—जो ऊपर (क) और (ख) के अन्तर्गत नहीं आते—कनिष्ठ सिविलियन अधिकारी द्वारा धारित पद का समतुल्य स्थानीय रैंक दिया जाएगा । किन्तु इससे वे किसी रैंक वेतनमान या अधिसंख्य स्थानीय रैंक के अन्य भत्तों के हकदार नहीं हो जाएंगे ।

उपाबन्ध 2

रक्षा अधिकारियों की सेवा शर्तें :

(1) परिवीक्षा : पहली नियुक्ति पर रक्षा अधिकारी 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेगा किन्तु इस अवधि को सरकार महासर्वेक्षक की सलाह पर बढ़ा सकेगी। इस अवधि के दौरान या उसके अंत पर वह उससे ऐसा सर्वेक्षण कार्य से संबंधित व्यवहारिक/सैद्धांतिक परीक्षण करने के लिए कह सकेगी जो महासर्वेक्षक आवश्यक समझे। यदि वह यह परीक्षण पास करने मे असफल रहता है या किसी अन्य कारण से भारतीय सर्वेक्षण में उसका बना रहना अवांछनीय समझा जाता है तो उसे महासर्वेक्षक की सिफारिश पर सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा। उन अधिकारियों की जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि समाधानप्रद रूप से समाप्त करली है उनके द्वारा धारित पदों पर पुष्टि कर दी जाएगी। ऐसे अधिकारी की पुष्टि या उसके सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित होने तक उसे परिवीक्षाधीन समझा जाएगा।

(2) सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तन : पुष्टि के पश्चात अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण में अपनी नियुक्ति के संबंध में धारणाधिकार होगा किन्तु ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इन शर्तों में "प्रतिवर्तित होना" अभिव्यक्ति में अधिकारी के लिए विकल्प विवक्षित है जबकि "प्रतिवर्तित किया जा सकेगा" अभिव्यक्ति से यह उपदर्शित होता है कि अधिकारी को विकल्प नहीं है :

(क) यदि अधिकारी की कमीशंड सेवा 20 वर्ष से कम है तो वह 6 मास की सूचना देकर अपने अनुरोध पर सैनिक ड्यूटी पर स्थाई रूप से प्रतिवर्तित हो सकेगा।

(ख) यदि अधिकारी की कमीशंड सेवा 20 वर्ष से अधिक है तो वह सरकार के अनुमोदन द्वारा ही स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित हो सकेगा।

(ग) कर्नल या उससे ऊपर के अधिष्ठाई रैंक का कोई अधिकारी या कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जिसने उस रूप में अपनी सेवावृत्ति पूरी कर ली है स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित नहीं हो सकता।

(घ) किसी भी अधिकारी को स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा यदि भारतीय सर्वेक्षण में निम्नलिखित के कारण उसकी सेवाएं आवश्यक नहीं है :

(1) स्थापन में कमी।

(2) अधिकारी का असमाधानप्रद कार्य या आचरण जिसमें उसका सेवा से हटाया जाना या पदच्युति अंतर्वलित नहीं है।

(ङ) किसी भी अधिकारी को अस्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा यदि :—

(1) उसकी आवश्यकता सैनिक सर्वेक्षण सेवा में सामान्य ड्यूटी के दौरान के लिए किसी ऐसे पद के लिए अपेक्षित है जिसे भारतीय सर्वेक्षण में अनुभव वाले किसी अधिकारी द्वारा भरा जाना हो।

(2) उसकी किसी ऐसी आपात स्थिति मे सैनिक ड्यूटी के लिए अस्थाई रूप से आवश्यकता हो जिसमें सैनिक सर्वेक्षण सेवा में पदों के भरे जाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण की समूह "क" सेवा में उपबंधित अधिकारियों की संख्या से अधिक का सेना में प्रतिवर्तन अपेक्षित हो।

(3) सेनाध्यक्ष की यह राय हो कि वे सैनिक ड्यूटी के लिए दक्ष नहीं है। इस नियम के अधीन प्रतिवर्तन 6 मास से अधिक के लिए नहीं होगा और उसके दौरान उस अधिकारी को किसी ऐसे यूनिट में लगाया जा सकेगा जो सेनाध्यक्ष उसके लिए अपेक्षित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए उचित समझे।

(5) उसके विरुद्ध सैनिक नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जानी हो। पहली बार प्रतिवर्तन की उतनी ही अवधि पर्याप्त होगी जो अनुशासनिक कार्रवाई को कार्य रूप देने के लिए पर्याप्त हो।

(च) भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारियों को सैनिक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए उनकी अपनी सामान्य ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाएगी। यह अवधि एक बार 4 मास से अधिक नहीं होगी और उसे ड्यूटी माना जाएगा और अधिकारियों को सिविल प्राक्कलन से पूर्ण वेतन और भत्ते सिविल दरों पर मिलेंगे।

3. सैनिक शक्तियां : सिविल नियोजन में कोई भी व्यक्ति सेनाध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होता और इसी प्रकार वह किसी सैनिक प्राधिकारी के अधीन नहीं होता वह अपने सैनिक रैंक के आधार पर सेना में किसी सैनिक प्राधिकार का स्वयं प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

परन्तु वह सैनिक नियोजन में ऐसे कार्मिकों पर जो विभागीय रूप से उसके आर्डर के अधीन रखे जाते हैं सैनिक कमान का प्रयोग कर सकेगा और यदि वह किसी सैनिक फारमेशन कर्मचारीवृन्द से संबद्ध है तो वह अपने रैंक के कारण प्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

सिविल नियोजन में किसी भी अधिकारी के लिये सेना की वर्दी पहनना वैकल्पिक होगा किंतु यदि वह सेना की वर्दी पहनता है तो उसे उस शालीनता का पालन करना होगा जो उसकी ओर से, भले ही उसकी अपनी सिविल श्रेणी कुछ भी हो, ज्येष्ठ रैंक के सैनिक अधिकारी को देय है।

4. सैनिक प्रोन्नति : भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह एक सैनिक अधिकारी के रूप में अपने आपको दक्ष बनाए रखेगा और ऐसी प्रोन्नति परीक्षाएं आदि पास करेगा जो उसके रैंक और कोर के अन्य सैनिक अधिकारियों के लिए अधिकथित की जाएं। उसकी बाबत ऐसी सैनिक गोपनीय रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी जो सैनिक प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित हों।

भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारियों के मामलों पर सैनिक अधिष्ठाई प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और ऐसी प्रोन्नति के लिए उनकी योग्यता के बारे में निर्णय उनकी सैनिक गोपनीय रिपोर्टों द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2(2)(च) और (ट) 3(3), 5(1) और (8) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' (सिविलियन वर्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 पद नाम	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	अकृत्यिक चयन श्रेणी (निदेशक/उपनिदेशक चयन श्रेणी)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षक) सर्वेक्षक)

1	2	3	4	5
2 पदों की संख्या		केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार होगी	*जैसाकि उपाबन्ध 1 में उपदर्शित है किन्तु इसमें परिवर्तन कार्य-भार पर निर्भर करेगा	
3 वेतनमान	5900-200-6700 रु.	4500-150-5700 रु.	3700-125-4700-150-5000 रु.	3000-100-3500-125-4500 रु.
4 चयनित पद या अचयनित पद	अचयनित	अचयनित	चयनित	(क) किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर उप अधीक्षक सर्वेक्षक (कनिष्ठ काल वेतनमान) की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी (ख) शेष 50 प्रतिशत चयन के आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक (समूह 'ख') की प्रोन्नति द्वारा
5. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(क) लागू नहीं (ख) 2 वर्ष
6 भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति	(क) प्रोन्नति (ख) प्रोन्नति
7. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (जिसमें आकस्मिक चयन, श्रेणी में सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित है (8 वर्ष की नियमित सेवा या समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए	सीधी भर्ती किया गया सिविलियन अधिकारी जिसने उस वर्ष की पहली जुलाई को सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, जिस की गणना उस परीक्षा के वर्ष से अगले वर्ष से की जाएगी जिसके आधार पर अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में भर्ती किया गया था और प्रोन्नति सिविलियन अधिकारी जो कनिष्ठतम सीधे भर्ती किए गए सिविलियन अधिकारी से ज्येष्ठ हो और जो पात्र हो चुका है	ज्येष्ठ काल वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा	(क) कनिष्ठ काल वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले की ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा (ख) अधिकारी सर्वेक्षक की श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा
8. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2 सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. सदस्य/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	(क) प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) प्रोन्नति के लिए (1) सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) महासर्वेक्षक —सदस्य (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य
9. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	(क) संघ लोक सेवा आ से परामर्श आवश्यक ग नहीं, (ख) प्रत्येक बार चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2(2) (घ) और (ट), 3(3), 5(1) और (8) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा (सिविलियन वर्ग)

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षण)	जैसा कि उपाबन्ध 1 में उपवर्णित है किन्तु इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करेगा	2200-75-2800-ई.बी.-100-4000 रु.	लागू नहीं	उस वर्ष की पहली अगस्त को जिसमें आयोग परीक्षा आयोजित करे, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष टिप्पण : भारतीय सर्वेक्षण के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 की बजाए 31 वर्ष होगी।	नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिवल इंजीनियरिंग में डिग्री या इंजीनियरी संस्था (भारत की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के सैक्शन क और ख में समतुल्य श्रेणी।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
8	9	10	11
2 वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	पुष्टि के लिए 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य	प्रत्येक बार चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।		

अनुसूची III

[नियम 2(3)(च) और (ड), 3(3) 5(1) और (3) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा (रक्षा वर्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पद का नाम	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/ महाप्रबन्धक)	अकार्यिक चयन श्रेणी निदेशक/ उपनिदेशक/चयन श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)
2. पदों की संख्या	—जैसा कि उपाबंध 1 में उपदर्शित है किंतु इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करेगा।	केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार	—	—	—
3. वेतनमान	5900-200-5700 रु.	4500-150-5700	3700-125-4700 150-5000 रु.	3000-100-3500-125-4500 रु.	2200-75-2800 द.रो -100-4000 रु.
4. चयन पद या अचयन पद	अचयन	अचयन	चयन	अचयन	चयन
5. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष
6. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति—	इंजीनियर कोर के अधिकारियों से स्थानान्तरण द्वारा और ऐसे अधिकारी न मिलने पर इंजीनियरी में सदृश पद धारित करने वाला अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर। स्थानान्तरण द्वारा। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसमें 2 वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है।	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (जिसमें अकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा यदि कोई हो, सम्मिलित है (8 वर्ष की नियमित सेवा या समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।	वे अधिकारी जिन्होंने कमीशंड सेवा के कम से कम 13 वर्ष पूरे कर लिए हों	ज्येष्ठ काल वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा	कनिष्ठ काल वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वालों की ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	स्थानान्तरण : इंजीनियर कोर का अधिकारी जिसने कम से कम 3 वर्ष की, किन्तु 6 वर्ष से अधिक नहीं, कमीशंड सेवा पूरी करली हो।
8. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति के लिए। 1 अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 6. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. सदस्य/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	पुष्टि के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, —सदस्य 3. संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय —सदस्य
9. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक

टिप्पण : (1) उम्मीदवार न मिलने की दशा में ऐसे अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो इंजीनियर कोर में सदृश्य पद धारित कर रहे हैं और जिन्होंने भारतीय सर्वेक्षण में पहले काम किया है और 2 वर्ष का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और अकृत्यिक चयन श्रेणी के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के लिए 4 वर्ष और ज्येष्ठ काल वेतनमान के लिए 3 वर्ष होगी।

(2) ज्येष्ठ काल वेतन मान (अधीक्षण सर्वेक्षण) में न भरी जाने वाली रिक्तियों को तब तक अनुसूची 1 में प्रतिशतता प्रतिबंध के अनुसार सिविलियन वर्ग से अस्थाई रूप से भरा जाएगा जब तब कि अपेक्षित न्यूनतम सेवा वाला रक्षा वर्ग का अधिकारी उपलब्ध न हो।

अनुसूची 4

(नियम 2(2) (घ) और (ट), 3(3), 5(1) और (8) देखिए)

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय महासर्वेक्षक	1	7300-100-7600 रुपये	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सर-	हां, सीधी भर्ती के लिए	अनिवार्य : (1) इंजीनियरिंग में डिग्री या गणित/भौतिकी/भूगोल/भू-गणित में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य

		कारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)	अर्हताएं। (3) किसी इंजीनियरी संगठन या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी ज्येष्ठ प्रशासनिक और प्रबंधकीय पद पर संबंधित क्षेत्र में 18 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (1) सर्वेक्षण फोटोग्रामेमिति या भूगणित या संबद्ध विषयों शोध का अनुभव प्रकाशित शोध कार्य के साक्ष्य सहित। (2) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान (3) मानचित्र कला आटोमेशन का ज्ञान (यदि आयोग चाहे तो अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में छूट दे सकता है।	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।
8	9	10	11	12
केवल सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा उम्मीदवार न मिलने की दशा में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा जिसका विनिश्चय आयोग से परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।	श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले सिविलियन वर्ग या रक्षा वर्ग के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी। प्रोन्नति के लिए : फीडर श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा की अवधि के आधार पर सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों में से प्रोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जाएगी। स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन 5200-6700 रुपये वेतनमान में पद धारित करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और उनके पास स्तम्भ 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रोन्नति के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष। 2. सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—सदस्य। 3. सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य। पुष्टि के लिए : 1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—अध्यक्ष। 2. सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि आयोग उसका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर सरकार के अधिकारी को नियुक्त करते समय आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा

[सं. 1-48/83 एस एम पी-3]
डी. बी. सहगल, संयुक्त सचि

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 26th May, 1989

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Survey of India Group 'A' Recruitment Rules, 1960, (ii) Survey of India (Recruitment from Corps of Engineer Officers) Rules, 1950 and (iii) Surveyor General of India (Survey of India) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to posts in the Survey of India, Group 'A' Service namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Constitution of the Survey of India Group 'A' Service.

(1) There shall be constituted a service known as Survey of India Group 'A' Service of persons appointed to the Service under Rules 7 and 8.

(2) Definitions—In these rules unless the context otherwise requires,

(a) "Annexure" means annexure to the rules ;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission ;

(c) "Duty post" means any post, whether permanent or temporary included in Schedules I, II, III and IV

(d) "Government" means the Central Government ;

(e) "Grade" means a grade of the Service ;

(f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade rendered after selection, according to the prescribed procedure laid down in Schedules I, II, III and IV, for a long term appointment to that grade and includes any period or periods :—

(i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service.

(ii) during which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave, deputation. Foreign assignment and the like not being available for holding such post ;

(g) "Schedule" means a Schedule Annexed to these rules ;

(h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution ;

(i) "Service" means the Survey of India (Group 'A') service constituted under rule 2(1).

(j) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Science and Technology.

(k) "Departmental candidates' means who have been appointed otherwise than on tenure basis or deputation basis, in consultation with the Commission or on the recommendations of a DPC and who hold posts or hold lien on post :—

(i) Specified in Schedules I, II, III and IV on the date of commercial of these rules rules ; or

(ii) encadred in the service and included in Schedule I, II, III and IV after the initial constitution of the service, on the date of such encadrement.

3. Grades, Authorised Strength and its review.—(1) With the commencement of these rules, the Survey of India Group A Service consisting of Civilian and Defence Officers with integrated seniority would be split up into two separate streams viz. 'Civilian' and 'Defence' streams as per these rules. The posts included in the Service, their number and pay scales and their division between Civilian and Defence streams will be as specified in Annexure I.

(2) The Government may make additions or deletions to the strength of the various grades as deemed necessary and considered appropriate from time to time.

(3) The Government may make additions or deletions to mission include in the Service any post other then those included in Schedules I to IV or exclude from the service a post included in the said Schedules.

(4) Government, may in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule 3 to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or a substantive capacity, as may be deemed fit and fix the seniority in the grade in consultation with the Commission.

4. Members of the Service.—(1) The following persons shall be members of the Service :

(a) Persons appointed to the service at the publication of these rules in the Official Gazette ;

(b) persons appointed to the service under rule 8 after the publication of these rules from the dates so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) of this rule shall on such publication be deemed to be a member of the service in the Corresponding grade ;

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) of this rule shall be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

5. (1) The method of recruitment, the field of selection, the minimum qualifying service for appointment to posts included in the service—There will be two different streams of recruitment—Civil and Defence. Recruitment to these streams shall be made as specified in Schedules I, II, III and iV.

(2) Probation.—(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment in Junior Time Scale or by promotion from Group 'B' in Senior Time Scale shall be on pobation for a period of 2 years :

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily wtihin eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if consider fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed, in due course.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment Government, for reasons to be recorded in writing, may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as a condition to satisfactory completion of the probation.

6. Pay and Allowances and other benefits.—(i) The Defence Officers serving in the Survey of India at the time of promulgation of these rules will draw civil rates of pay and allowances. However, their emoluments in each case below the rank of substantive Lt. Col. excluding those who are superseded for promotion in the Survey of India, will be determined by the Surveyor General in consultation with the Engineer-in-Chief on the basis of the average of the emoluments of two officers above and two officers below the con-

cerned officer in the Corps of Engineers. For any officer who is superseded for promotion in the Survey of India, the benefit of the two above and two below will freeze at that level itself irrespective of the rank held by him. Similarly, for any officer whose seniority in the Army is retarded subsequently, his pay shall be refixed with rspect to his changed seniority. On promotion to the rank of substantive Lt. Col. or above, they can draw the civil pay of the post held by them or the pay of the military rank whichever is higher.

(ii) The Defence officers who have already been promoted to the rank of substantive Lt. Col. or above, can draw the civil pay of the post held by them or the pay of their military rank whichever is higher. Any difference in the total emoluments drawn by them at present on the basis of two above and two below rule shall be treated as "personal pay" to be absorbed in future increments.

(iii) The officers joining the Survey of India Group 'A' Service (Defenc Stream) in future will have the option of either drawing the pay of Survey of India Group 'A' Service or pay and allowances as admissible in Corps of Engineers.

(iv) The officers holding posts against the Defence Stream would have the following equivalence of ranks.

Sl. No.	Post of Group 'A' Service (Defence Stream)	The corresponding rank in Corps of Engineers for the purpose of fixation of pay	Minimum No. of years of service for substantive rank
1	2		3
1.	Junior Time Scale (Rs. 2200-4000) (Deputy Superintending Surveyor)	Captain*	5 years
2.	Senior Time Scale (Rs. 3000-4500) (Superintending Surveyor)	Major	11 yers
3.	Junior Administrative Grade (Rs. 3700-5000) (Deputy Director)	Lt. Colonel	16 years
4.	Non-functional Selection Grade (Rs. 4500-5700) (Director/Deputy Direcior Selection Grade)	Col/Brig.**	20/23 years
5.	Senior Administrative Grade (Rs. 5900-6700) (Additional)Surveyor General/General Manager)	Major General	25 years
6.	Surveyor General (Rs. 7300-7600) (Whenever from Defence Stream)	Lt. General	28 years

Note: -- *Officers with minimum of 3 years commissioned service would be offered for permanent secondment in Survey of India.

**Officers with minimum 23 years of reckonable commissioned service would be given the rank of Brigadier.

7. Initial constitution of service.—(i) All Defence officers who have the option to revert permanently to the military duty as per rule 4 of the Survey of India (Recruitment from Corps of Engineer Officers) Rules, 1950, shall exercise their options to do so within 3 months of the promulgation of these rules. The officers who do not exercise the option within the period of 3 months will become members of the new Service from the date of its initial constitution against the posts in the Defence Stream. Such of the officers who opt to revert back to the Army may continue to work on tenure basis in Survey of India against the quota for Corps of Engineer officers for the prescribed tenure period laid down in Schedule III.

(ii) Persons (other than Corps of Engineer Officers) holding Group 'A' posts in Survey of India Group 'A' Service and working in Survey of India will become members of the service against the posts in the Civilian Stream in the posts or grades corresponding to those which they were holding on regular basis.

(iii) To the extent the authorised regular strength of various grades in the service is not filled up at the time of initial Constitution, it shiall be filled in accordance with rule 8.

(iv) The post of Surveyor General of India would be part of the Survey of India Group 'A' Service from the date of its initial constitution.

8. Future maintenance of the service.—(i) Any vacancy in any of the grades referred to in Schedules I, II, III and iv shall be filled from the Civilian and Defence Streams as provided under these Schedules.

(ii) The posts to be created in future in the various grades of the service shall be filled in the manner as hereinafter provided :

(a) Posts to be manned by the Civilian Officers as indicated in Schedules I and II.

(b) Posts to be manned by the Corps of Engineer Officers as indicated in Schedule II.

9. Seniority.—(A) Civilian Stream :

(i) Direct Recruitment : The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selection for such appointment on the recommendations of the Commission; persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

Provided that where persons are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority shall follow the order of confirmation and not the original order of merit.

(ii) Promotees . The relative seniority of persons promoted to the various grades shall be determined in the order of their selection for such promotion :—

(iii) Inter-se-seniority : Relative seniority in the grade of Superintending Surveyor.

(iv) Relative Seniority of Deputy Superintending Surveyor and Officer Surveyor shall be determined according to the roster of vacancies. The first vacancy will go to the Deputy Superintending Surveyor and next vacancy to the promotee officer from the grade of Officer Surveyor and so on.

(B) Defence Stream.—(i) Seniority of Officers taken on permanent secondment from Corps of Engineer shall be on the basis of their date of substantive commission and relative seniority in the Corps.

(ii) Any revision in their relative seniority position in the Army will have the effect of changing their seniority in the Survey of India also.

(iii) If the seniority of any Member of the service had not been specifically determined at the time of initial constitution, the same shall be determined by Government in consultation with the Deptt. of Personnel and Training in accordance with the rules applicable to the Member of similar service under Government.

(C) (i) There will be no inter-se-seniority between officers coming from Civilian and Defence Streams. The relative seniority of members of the service appointed to a grade in

the Civilian or Defence Stream at the time of initial constitution under rule 7 shall be governed by the relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules.

(ii) All permanent officers included in the service under rule 7 in any grade shall rank senior to all officers substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included in that initial constitution of the service in any grade shall rank Senior to all temporary officers appointed to that grade subsequently.

(d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may is satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Liability to service in the Defence Services.—(1) Civilian Stream.—Any person appointed to any of the said posts in the Civilian Stream before, on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette, shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or posts connected with the Defence of India for a period not more than four years including the period, if any, spent on training. Provided that such person shall not be required :—

(a) to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) ordinarily, to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(2) Defence Stream.—(a) Permanently seconded officers would be liable to recall as per provisions in the Army Act.

(b) The strength of the Defence stream of Group 'A' Cadre of Survey of India envisages that a Defence officer in the Survey of India will spend about 3/4 of his service with the Survey of India and 1/4 on military duty with Military Survey units or Staff on temporary reversion.

(c) Exchange of Defence Officers between the Survey of India and Military Survey service will be carried out in consultation with the Engineer-in-Chief according to the requirements of both the services.

(d) Special conditions of service for Defence Officers.—The officers working in the Defence stream and coming on permanent secondment to Survey of India Group 'A' service will be governed by special conditions of service relating to probation, reversion to military duty etc. as given in Annexure II.

12. Liability of officers to serve in India and abroad.—(1) Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and abroad.

(2) Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

14. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

1471 GI/89—10

ANNEXURE-I

Bifurcation of Survey of India Group 'A' Service and the safeguards for the incumbents in the existing combined seniority list

A. Bifurcation of SOI Group 'A' Service

(1) The existing combined cadre will be split up into two independent streams—one for the civilian and the other for the Defence Officers. The posts in the SOI Group 'A' cadre are distributed among the two streams in the following manner to begin with—

Grade	Scale of pay	No. of Posts Defence	Civil
Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General Manager)	Rs. 5900-200-6700	5	3
Non functional Selection Grade Directory/Dy. Director (Selection Grade)	Rt. 4500-150-5700	19	17
Junior Administrative Grade (Deputy Director)	Rt. 3700-125-4700 -150-5000	23	17
Senior Time Scale (Superintending Surveyor)	Rs. 3000-100 3500-125-4500	70	90
Junior Time Scale (Deputy Supdt. Surveyor)	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	70	42

(2) The future posts may be allocated among the two streams in such a way so as to reach the following (desired) ratios as far as possible :—

Grade	No. of posts Defence	Civil
Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General Manager)	5	3
Non functional Selection Grade Director/Dy. Director (Selection Grade)	27	23
Junior Administrative Grade (Deputy Director)	28	31
Senior Time Scale (Superintending Surveyor)	90	115
Junior Time Scale (Deputy Supdt. Surveyor)	59	36

(3) Safeguard for the existing incumbents in the combined seniority list:—

(3) Safeguard for the existing incumbents in the combined seniority list.—The present incumbents (Defence|Civil), who are adversely affected on account of bifurcation will be protected by the following provisions :—

(a) All those officers (Defence/Civil), who would have got promotion on the basis of the integrated seniority but who get left out on account of separate seniority, would be covered by creating supernumerary posts (and in addition by granting equivalent acting/substantive army ranks in case of Defence officers).

(b) There is no wide disparity between the existing officers in the two streams for promotion to a particular level i.e. the difference in the year of allotment|seniority of the junior-most, officers or comparison at each level is not more than one year. However, if there is any case of wide disparity, the affected officer(s) would be covered by creating supernumerary posts (and in addition by granting equivalent acting/substantive army ranks in case of Defence officers).

(c) Other affected Defence officer(s) who get superseded by junior civilian officers in the combined list but are otherwise fit for promotion—not covered under (a) & (b) above—will be granted local rank equivalent to the post occupied by junior civilian officer. This would not entitle them to any rank pay or other allowances of supernumerary local rank.

ANNEXURE-II

Conditions of service for Defence officers

(1) Probation.—On first appointment a Defence officer will be on probation for two years but this period may be extended by Government on the advice of the Surveyor General. During this period or at the end of it he may be called upon to undergo such practical or theoretical tests in survey work as may be considered necessary by the Surveyor General. If he fails to pass these tests or if for any other reasons his retention in the Survey of India is considered undesirable, he may be reverted to military duty on the recommendations of the Surveyor General. Those officers whose probationary period is considered satisfactory will be confirmed in their appointments. Till the confirmation of the officer or his reversion to military duty, the officer will be treated as remaining on probation.

(2) Reversion to military duty.—After confirmation an officer will have a lien on his appointment in the Survey of India which will however, be subject to the following conditions. In these conditions the expression "revert" implies an option on the part of the officer, the expression "be reverted" indicates that the officer has no option :

(a) If the officer has less than 20 years Commissioned service, he may revert premanently to military duty at his own request with six months notice.

(b) If the officer has more than 20 years Commissioned service he may revert permanently to military duty only with the approval of the Government.

(c) An officer, of the substantive rank of Col. or above or a Lt. Col. who has completed his tenure of service as such, cannot revert permanently to military duty.

(d) An officer may be reverted permanently to military duty if his services are no longer required in the Survey of India owing to :—

(i) reduction of establishment.

(ii) unsatisfactory work or conduct on the part of the officer not involving his removal or dismissal from Government service.

(e) An officer may be reverted temporarily to military duty if :—

(i) required for a normal tour of duty in the Military Survey Service in a post required to be filled by an officer with Survey of India experience.

(ii) required temporarily for military duty in an emergency requiring the reversion to the Army of more than the number of officers provided for in the Group 'A' Service of the Survey of India for filling the posts in the Military Survey Services.

(iii) in the opinion of the Chief of the Army Staff he is inefficient in the military duties. A reversion under this rule will be for a period of not more than six months and during it the officer may be attached to any unit which the Chief of Army Staff considers suitable for providing the required refresher course.

(iv) he is required for disciplinary action under military rules. The period of reversion shall in the first place be only sufficient to enable the disciplinary action to be effected.

(f) Defence officers in the Survey of India will be allowed to be absent from their normal duties to attend Military Courses. The period involved will not exceed 4 months at a time and will be treated as duty and the officers will receive full civil rate of pay and allowances from Civil Estimates.

3. Military powers.—An officer in civil employment is not under the jurisdiction of the Chief of Army Staff and so is not subject to any military authority. He himself is not entitled by virtue of his military rank to exercise any military authority in the army.

He may however, exercise military command over any personnel in military employment who may be placed departmentally under his order, and if attached to the staff of a military formation he will be entitled to exercise the authority due to his rank.

The wearing of military uniform by an officer in civil employment is optional, but should he wear military uniform he will observe the courtesies due to military officer of superior rank irrespective of his own civil grade.

4. Military promotion.—A Defence officer in the Survey of India is expected to keep himself efficient as an army officer and will have to pass such promotion examinations etc. as may be laid down for other military officers of his rank and Corps. Such military confidential reports will be submitted on him as may be required by the Military authorities.

Defence officers in the Survey of India will be considered for military substantive promotion and their fitness for such promotion will be judged by their military confidential reports

SCHEDULE I

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' (CIVILIAN STREAM)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Name of the post	Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General-Manager).	Non-functional Selection Grade (Director/Deputy Director Selection Grade)	Junior Administrative Grade (Deputy Director)	Senior Time Scale (Superintending Surveyor)

1	2	3	4	5
2. No. of post	*	Shall be according to the orders of the Central Government.	* *As indicated in Annexure I subject to variation dependent on work-load.	*
3. Scale of pay	Rs. 5900-200-6700	Rs. 4500-150-5700	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Rs. 3000-100-3500-125 4500.
4. Whether Selection post or non-selection post.	Selection	Non-selection	Selection	(a) 50% of the vacancies occuring in a year will be filled up by promotion of Dy. Supdt. Surveyor (Jr. Time Scale) on the basis of seniority-cum-fitness. (b) the remaining 50% by promotion of Officer Surveyor (Group B) on selection basis.
5. Period of Probation, if any.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) Not applicable (b) two years.
6. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Promotion	Promotion	Promotion	(a) Promotion. (b) Promotion.
7. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	8 years' regular service in the Junior Administrative grade (including service if any, in the non-functional selection grade) or 17 years' regular service in Group 'A' Service out of which atleast 4 years regular service should be in the Junior Administrative grade.	Direct Recruit Civilian Officer who has entered the 14th year of service on 1st July of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the officer was recruited to Survey of India Group 'A' service and promoted Civilian Officer senior to the junior most direct recruit civilian officer who has become eligible.	5 years' regular service in the Senior Time Scale.	(a) By promotion on seniority-cum-fitness basis with 4 years' regular service in the Junior Time Scale. (b) By selection from officers in the grade of Officer Surveyor with 8 years' regular service in the grade.
8. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	For Promotion : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Department of Science & Technology - Member 3. Surveyor General - Member.	For Promotion : 1. Surveyor General --Chairman 2 Joint Secretary, Department of Science & Technology ---Member. 3. Joint Secretary. M/Defence - Member	For Promotion : 1. Member/Chairman, U.P.S.C.—Chairman 2 Joint Secretary, D.S.T. —Member 3. Surveyor General - Member.	(a) For Promotion : 1. Surveyor General —Chairman. 2. Joint Secretary, D.S.T.—Member. 3. Joint Secretary, M/Defence ---Member. (b) For Promotion : 1. Member, U.P.S.C.---Chairman 2. Surveyor General -- Member. 3. Joint, Secretary, D.S.T.-- Member.

1	2	3	4	5
9. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC not necessary	Consultation with UPSC not necessary	Consultation with UPSC not necessary	(a) Consultation with UPSC not necessary. (b) Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.

SCHEDULE II

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Time Scale (Deputy Superintending Surveyor)	Indicated at Annexure-I subject to variation/ dependent on work-load	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.	Not applicable.	Minimum 21 years. and maximum 26 years as on 1st August of the year in which the Examination is conducted by Commission. Note : The upper age limit of 26 yrs. is relaxable upto 31 yrs. for the employees of the Survey of India.	No	Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent grade in Section A & B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India).

Period of probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11
2 years	Direct recruitment through Engineering Services Examination held by Union Public Service Commission.	For conformation : 1. Survey General—Chairman 2. Joint Secretary, DST.—Member. 3. Joint Secretary, Ministry of Defence—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

SCHEDULE : III

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1), 7(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (DEFENCE STREAM)

(1)	(2)	(3)
1. Name of the post	Senior Administrative grade (Additional Surveyor General/General Manager).	Non-functional Selection grade (Director/Deputy Director Selection grade).
2. Number of post	*	Shall be according to the orders of the Central Government
3. Scale of pay	Rs. 5900-200-6700	Rs. 4500-150-5700
4. Whether selection post or non-selection post	Selection	Non-Selection

(4)	(5)	(6)
Junior Administrative Grade (Deputy Director) *	Senior Time Scale (Superintending Surveyor) *	Junior Time Scale (Deputy Superintending Survayor) *
**As indicated in Annexure I subject to *variation dependent on work load.		
Rs. 3700-125-4700-150-5000 Selection	Rs. 3000-100-3500-125-4500 Non-Selection	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 Selection

(1)	(2)	(3)
5. Period of probation, if any.	Non applicable.	Not applicable.
6. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion.@	Promotion @
7. In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion /deputation transfer to be made	8 years' regular service in the Junior Administrative grade (including service, if any, in the non-functional Selection grade) or 17 years' regular service in Group 'A' service out of which at least 4 years regular service should be in the Junior Administrative grade.	Officers who have put in minimum of 13 years of Commissioned service.
8. If a Departmental Promotion Committee exists, what is it's composition.	For Promotion : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman. 2. Secretary, DST—Member. 3. Surveyor General—Member.	For Promotion: 1. Surveyor General—Chairman. 2. Joint Secretary, DST—Member 3. Joint Secretary M/Defence —Member.
9. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the UPSC not necessary.	Consultation with the UPSC not necessary.

(4)	(5)	(6)
Not applicable Promotion@	Not applicable Promotion@	2 years Transfer from Corps of Engineer officer failing which by transfer on deputation of officer holding analogous post in Corps of Engineers. The period of deputation will be 3 years excluding 2 years period of training.
5 years regular service in the Senior Time Scale	By promotion on seniority-cum-fitness basis with 4 years' regular service in the Junior Time Scale	Transfer :—Corps of Engineer officer having not less than 3 years and not more than 6 years Commissioned service.
For Promotion : 1. Member/Chairman, UPSC—Chairman 2. Joint Secretary DST—Member 3. Surveyor General—Member	For Promotion : 1. Surveyor—Chairman General 2. Joint Secretary DST—Member 3. Joint Secretary, M/Defence—Member	For confirmation : 1. Surveyor General—Chairman 2. Joint Secretary DST—Member 3. Joint—Secretary M/Defence —Member
Consultation with the UPSC not necessary	Consultation with the UPSC not necessary	Consultation with the UPSC necessary for appointment on transfer.

Note : @ Failing which by transfer on deputation of officer's holding analogous posts in Crops of Engineers, who have earlier worked in the Survey of India and undergone initial training for two years. The period of deputation will be 5 years for Senior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade and 4 years for Junior Administrative Grade and 3 years for Senior Time Scale.

£ The vacancies lying unfilled in the Senior Time Scale (Superintending Surveyor) shall be filled temporarily by Civilian Stream as per procedure laid down in Schedule I till such time an officer from Defence stream with requisite minimum service available.

SCHEDULE IV

[See rules 2(2) (f) & (k), 3(3) 5(1) & (8)]

Name of post	No. of post	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Surveyor General of India.	1	Rs. 7300-100-7600	Selection	Not exceeding 50 yrs. (relaxable for Govt. servants upto 5 yrs. in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt.)	Yes or direct recruits.	Essential : (i) Degree in Engineering or Master's degree in Mathematics/Physics/Geography/ Geodesy of a recognised University or equivalent. (ii) 18 years experience in a Senior Administrative and managerial position in an

2	2	3	4	5	6	7
						Engineering organisation or a Scientific laboratory in the related fields. Desirable : (i) Research experience in Surveying, Photogrammetry or Geodesy or allied subjects with evidence of published research work. (ii) Knowledge of computer programming. (iii) Knowledge of automation in Cartography. (Qualifications relaxable at Commissions discreation in case of candidates otherwise well qualified).

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment of by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its, composition.	Circumstances in which UPSC is to be consultep in making recruitment.
8	9	10	11	12
1 year for direct recruits only.	By promotion failing which by direct recruitment or deputation or transfer to be decided in consultation with the Commission.	Senior Administrative grades officers in the Civilian and Defence stream with two yrs. regular service in the grade. For Promotion : A combined eligibility list for promotion shall be prepared out of the officers in the senior Administrative grade in the Civil and Defence streams on the basis of the length of continuous regular service in the feeder grade. For transfer/deputation : Officer under the Central/State Governments holding posts in the scale of Rs. 5900 – 6700 with two yrs. regular service in the scale and having educational qualifications and experience prescribed under column 7. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 5 years).	For promotion : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman. 2. Secretary, DST—Member. 3. Secretary, Min. of Defence —Member. For Confirmation : 1. Secretary, DST— Chairman 2. Secretary, Min. of Defence — Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while appointing officer of Govt. on deputation/transfer.

[No. 1—48/83-SMP 3]
D.B. SHEGAL, Jt. Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 5 अप्रैल, 1989

सा. का. नि. 438.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त नियंत्रक (वित्त तथा लेखा)/बजट तथा योजना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (संयुक्त नियंत्रक) वित्त तथा लेखा/बजट तथा योजना अधिकारी भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता :— यह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह समाधान हो जाता है ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त नियंत्रक (वित्त तथा लेखा) बजट तथा योजना अधिकारी	दो* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित	3700-125-4700-150-5000 रुपए	चयन पद	नहीं	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : केन्द्रीयकृत लेखा संवर्ग के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 3000-100-3500-125-5000 रुपये के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 3000-5000 रुपये और 3000-4500 रुपये और 3000-4500 रुपये के वेतनमानों में संयुक्त रूप से 5 वर्ष की सेवा की हो। या केन्द्रीयकृत लेखा संवर्ग के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 3000-100-3500-125-4500 रुपये के वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। अभियुक्ति– जब विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पहली जुलाई से पहले होती है, तब पात्रता के प्रयोजन के लिए संगत तारीख पहली जनवरी होगी और जब उसकी बैठक पहली जुलाई के बाद होती है तब ऐसी संगत तारीख उस कैलेण्डर वर्ष की 1 जुलाई होगी। प्रतिनियुक्ति पर अंतरण :— केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों/राज्य सरकारों/अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सेवाओं के ऐसे उपयुक्त अधिकारी जो समकक्ष पद या निम्न पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी प्रतिनियुक्ति पर अंतरण केन्द्रीय सरकार के संगत अनुदेशों के अनुसार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सिफारिश पर किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक अनुबंध की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पावधिक अनुबंध की अवधि सहित, सामान्य रूप से 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग —अध्यक्ष 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग के सचिव का मनोनीत अधिकारी —सदस्य 4. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग —सदस्य 5. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग —सदस्य 6. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग —सदस्य 7. संयुक्त लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग —सदस्य	परमाणु ऊर्जा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न करने की छूट मिली हुई है।]

[सं 21/1/4/86 – सी सी एस/438]
एन. विठठल, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay the 5th April, 1989

G.S.R. 438.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Controller (Finance and Accounts)/Budget and Planning Officer in the Department of Atomic Energy, namely :—

1. Short title and commencement.—(a) These rules may be called the Department of Atomic Energy [Joint Controller (Finance and Accounts)/Budget and Planning Officer] Recruitment Rules, 1989.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qua-

lifications and other matter connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Controller (Finance & Accounts)/ Budget & Planning Officer	Two* * Subject to variation depending upon work load	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 3700-125-4700-150-5000	Selection post

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS(Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)	(8)
No.	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled in by various methods
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Nil	By promotion failing which transfer on deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
PROMOTION Officers of the Centralised Accounts cadre having a minimum regular service of 3 years in the scale of Rs. 3000-100-3500-125-5000 OR, Officers with a combined service of 5 years in the scale of Rs. 3000-5000 and Rs. 3000-4500, OR Officer of the Centralised Accounts Cadre having a minimum regular service of 5 years in the scale of Rs. 3000-100-3500-125-4500.	1. Secretary, DAE– Chairman 2. Director, BARC - Member 3. A Nominee of Secretary from outside the Department—Member 4. Additional Secretary, DAE– Member 5. Joint Secretary DAE– Member 6. Joint Secretary DAE—Member 7. Chief Controller of Accounts, DAE— Member	Department of Atomic Energy is exempted from consultation with Union Public Service Commission.

NOTE:
When the DPC meets before the 1st July, the relevant date for the purpose of eligibility will be 1st January and when it meets after 1st July, such relevant date will be 1st July of the calendar year.

Transfer on deputation

Suitable officers from other departments of central government/state governments/All India services/Central services holding posts in analogous on lower grades as per recommendations of Department of Personnel and Training in accordance with relevant instructions of Central Government on the subject. The period of deputation/short term contract including the period of deputation/short term contract in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years.

[NO. 21/1/4/86/CCS/438]
N. VITTAL, Addl. Secy.

इलैक्ट्रोनिकी विभाग

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1988

सा.का.नि. 439:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, इलक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में:—

(क) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4
अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6
पुस्तकालय सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 15
पुस्तकालय लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 16
जैरोक्स प्रचालक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 21
वरिष्ठ रोनियो प्रचालक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 22
ज्येष्ठ रिप्रोग्राफर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 26
ज्येष्ठ भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 29
ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से सम्बंधित क्रम संख्यांक 37 और पुस्तकालय परिचर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 38 के सामने स्तम्भ 13 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक)—अध्यक्ष
2. विभाग का एक अधिकारी जो अवरसचिव उप निदेशक पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशासन) उप निदेशक (प्रशासन) अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)— सदस्य
4. विभाग से बाहर का एक अधिकारी जो अवर सचिव/उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य

(ख) पुस्तकालय परिचर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 38 के सामने स्तम्भ 7, 8, 9, 11 और 12 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी— अर्थात :—

स्तम्भ 7 "लागू नहीं होता" ,
स्तम्भ 8 "लागू नहीं होता" ;
स्तम्भ 9 "लागू नहीं होता" ;
स्तम्भ 11 "100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा";

स्तम्भ 12 इलैक्ट्रानिक विभाग के नियमित रूप से नियुक्त ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति जिन्होंने अन्यून 5 वर्ष नियमित और निरन्तर सेवा की है और जिनके पास मैट्रिकुलेशन/समतुल्य अर्हता है तथा पुस्तकालय कार्य का अन्यून 6 मास का अनुभव है"

(ग) कनिष्ठ पुस्तकालय अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
"40"	अभिलेखापाल	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित	825-15-909-द. रो.-20-120-1200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति विभाग के ऐसे समूह "घ" पदधारियों में जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से "मिडिल स्तर (8वां स्तर) उत्तीर्ण होने की अर्हता है और जो इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अभिलेखापाल के पद के लिए ऐसे पदधारियों की उपयुक्तता का निर्धारण के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विहित परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तथा अभिलेखापाल के पद पर प्रोन्नति के लिए जिन समूह "घ" कर्मचारियों के पास निम्नलिखित सेवाकाल है :—

के लिए	अर्हक सेवा
1. चपरासी/चौकीदार/फराश/सफाईवाला या	5 वर्ष से कम नहीं
2. दफ्तरी/जमादार/कनिष्ठ रोनियो प्रचालक	3 वर्ष से कम नहीं

या

3. संयोजन करने पर चपरासी/चौकीदार/फराश/सफाईवाला की श्रेणी में 3 वर्ष से कम सेवा न की हो और दफ्तरी/जमादार/कनिष्ठ रोनियो प्रचालक की श्रेणी में 2 वर्ष से कम सेवा न की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1 निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक)—अध्यक्ष	लागू नहीं होता

13

2. विभाग का एक अधिकारी जो अवर सचिव/उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशासन)/उप निदेशक (प्रशासन)/अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)—सदस्य
4. विभाग से बाहर का एक अधिकारी जो अवर सचिव/उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य

[फाइल सं. ए-12018/9/85-पी.पी.]
अशोक चावला, उप निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :—मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6(13)/76-प्रशा. II तारीख 1-6-1977 द्वारा सा.का.नि. सं. 717 तारीख 18-6-77 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित के अधीन संशोधित किया गया है :

1. सा.का.नि. सं. 455 तारीख 24-3-1979
2. सा.का.नि. सं. 369 तारीख 11-4-1981
3. सा.का.नि. सं. 735 तारीख 8-8-1981
4. सा.का.नि. सं. 557 तारीख 19-6-1982
5. सा.का.नि. सं. 815 तारीख 25-9-1982
6. सा.का.नि. सं. 153 तारीख 19-2-1983
7. सा.का.नि. सं. 183 तारीख 5-3-1983
8. सा.का.नि. सं. 702 तारीख 24-9-1983
9. सा.का.नि. सं. 907 तारीख 25-8-1984
10. सा.का.नि. सं. 12 तारीख 4-1-1986
11. सा.का.नि. सं. 542 तारीख 19-7-1986
12. सा.का.नि. सं. 139 तारीख 4-3-1989

Department of Electronics

New Delhi, the 27th December, 1988

G.S.R. 439.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, namely :—

(1) These rules may be called the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in he Official Gazette.

2. In the schedule to the Department of Electronics (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 1977 :—

(a) against serial numbers

4. relating to the post of Upper Division Clerk,
6. relating to the post of Lower Division Clerk,
15. relating to the post of Library Assistant,
16. relating to the post of Library Clerk,
21. relating to the post of Xerox Operator,
22. relating to the post of Senior Roneo Operator,
26. relating to the post of Senior Reprographer,
29. relating to the post of Senior Store Keeper,
37. relating to the post of Senior Hindi Translator, and
38. relating to the post of Library Attendant,

for existing entries in column 13, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

1. Director/DDyD. Secretary/Jt. Director (Incharge Administration) —Chairman
2. One Officer of the Department not below the rank of Under Secretary/Dy. Director. —Member
3. Under Secretary (Adm.)/Dy. Director (Adm.)/Section Officer (Adm.) —Member
4. One Officer from outside the Department not below the rank of Under Secretary/Dy. Director. —Member."

(b) Against serial No. 38 relating to the post of Library Attendant for the existing entries in columns 7, 8, 9, 11 and 12 the following entries shall respectively be substituted namely :—

Column 7—"Not applicable";

Column 8—"Not applicable";

Column 9—"Not applicable";

Column 11—"100 per cent by promotion";

Column 12—"Promotion on the basis of seniority, from amongst regularly appointed Group 'D' employees of the Department of Electronics, with not less than 5 years regular and continuous service and possessing the qualification of Matriculation/equivalent, with an experience of not less than six months in Library Work.";

(c) After Serial No. 39 relating to the post of Junior Library Officer and entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non selection post.	Age limits for direct recruits.	Educational & other qualifications for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
"40.	Record keeper	1* *(Subject to variation depending on work-load).	General Central Service Group-'C' Non-gazetted.	Rs. 825-15-900-EB-20-1100	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Methods of recruitments, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	i In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion /deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	100% by promotion	Promotion : From amongst Gp. 'D' officials of the Deptt. possessing the qualification 'Middle standard pass (8th standard) from a recognised school and who qualify in a test prescribed by the Deptt. of Electronics to assess the suitability of such officials for the post of Record Keeper, with the following length of service for Gp. 'D' employees for promotion to the post of Record Keeper. Qualifying Service : 1. For Peon/Chowkidar/ Frash/Sweeper not less than 5 years 2. Daftry/Jamadar/Jr. Ronco Operator, Not less than 3 years OR 3. In combination with not less than 3 years service in the grade of Peon/Chowkidar/Farash/Sweeper and with not less than 2 years service in the grade of Daftry/Jamadar/Jr. Ronco Operator.	Gp. 'C' DPC consisting of : 1. Director/Dy. Secy./ Jt. Director (I/C) Admn.)—Chairman. 2. One officer of the Deptt. not below the rank of Under Secy./ Dy. Director—Member 3. Dy. Under Secy. (Admn)/ Dy. Director (Admn.)/ Section Officer(Admn.) —Member. 4. One officer from outside the Deptt. not below the rank of Under Secy./ Dy. Director—Member.	Not applicable."

[No. A—12018/9/85-PP]

Note :—Principal recruitment rules published vide notification No. 6(33)-76-Admn II dated 1-6-1977 published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 747 dated 18-6-1977 have subsequently been amended vide :—

(i) G.S.R. No. 455 dated 24-3-1979
(ii) G.S.R. No. 369 dated 11-4-1981
(iii) G.S.R. No. 735 dated 8-8-1981
(iv) G.S.R. No. 557 dated 19-6-1982
(v) G.S.R. No. 815 dated 25-9-1982
(vi) G.S.R. No. 153 dated 19-2-1983
(vii) G.S.R. No. 183 dated 5-3-1983
(viii) G.S.R. No. 702 dated 24-9-1983
(ix) G.S.R. No. 907 dated 25-8-1984
(x) G.S.R. No. 12 dated 4-1-1986
(xi) G.S.R. No. 542 dated 19-7-1986
(xii) G.S.R. No. 139 dated 4-3-1989

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

सा. का. नि. 440.—भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखंड (1) तारीख 4 मार्च, 1989 के अंक में प्रकाशित भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 139, दिनांक 16 फरवरी, 1989 में पृष्ठ 469 पर निम्नलिखित सुधार किया जायेगा।

1. क्रम संख्या 1 के उप-स्तम्भ (1) में "भार्ती के स्थान पर "भर्ती" पढ़ा जाएगा।

2. क्रम संख्या 1 के उप-स्तम्भ (2) में "हुआ" के स्थान पर "होंगे" पढ़ा जाएगा।

3. क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 3 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"1"

4. स्तम्भ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु."

5. क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 7 की प्रविष्टि में "सीधे" के स्थान पर "सीधे" पढ़ा जाएगा।

6. स्तम्भ 8 के उप-खंड iii की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"किसी ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान या तकनीकी पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।"

7. स्तम्भ 13 के नीचे की प्रविष्टियों की क्रम संख्या निम्नलिखित दी जाएगी, अर्थात् :—

"1.

2.

2.

3.

8. टिप्पण : की प्रविष्टि की पंक्ति 3 में "18-9-1977" काटा जाएगा।

9. टिप्पण की पंक्ति 9 में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सा. का. नि. सं. 815 तारीख 25-9-1982"।

10. टिप्पण की पंक्ति में 15 में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सा. का. नि. 542 तारीख 19-7-1986"।

[सं. 1 (2) 88-का.नी.]

अशोक चावला, उप निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 1989

G.S.R. 440.—In the notification of the Government of India, in the Department of Electronics, G.S.R. No. 139 dated 16-2-1989 relating to the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989 of Part II, Section 3, sub-section (i) the following 1989 of Part II, Section 3, sub-section (i) the following changes may be made namely :—

1. In the Schedule to the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977 (hereinafter referred to as these rules) relating to the post of Junior Library Officer at Sl. No. 39, in column 8 relating to Educational Qualification in the—

(a) 14 line "relaxatio" shall be read as "relaxation".

(b) 15 line "an period" shall be read as "a period".

2. In the Note to these rules,—

(a) at serial number (iv), after G.S.R. for "N" read "No." and

(b) at serial number (v), after G.S.R. No. for figures "81" read the figures "815".

[No. 1(2)|88-PP]

ASHOK CHAWLA, Dy. Director

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

सा.का.नि.. 441 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फ़ायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक (सुरक्षा)	4* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पुनर्नियोजन द्वारा तथा परीक्षण में अनुभव है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रदान की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है (सिविल पदों पर प्रतिनियोजन से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। (जूनियर कमीशंड आफ़िसर के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 2 वर्ष होगी, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने 1400–2300–2600 रु. वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (iii) सेना आर्डनेंस कोर (गोला-बारूद तकनीशियन) के जूनियर कमीशंड अधिकारी या इंजीनियर कोर (विद्युत (इ) के जूनियर कमीशंड आफ़िसर। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (ii) रासायनिक विश्लेषण, और परीक्षण में अनुभव। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पुनर्नियोजन :— सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास रसायन विज्ञान में डिग्री और रासायनिक विश्लेषण तथा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(श्री पी. अग्रवाल),
अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या सी एस-4 (20)/86—प्रशासन (एसएफएस/एसएमबी)
प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (2 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
4. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली (2 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
5. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली पत्र संख्या एफ 3/2 (3)/88 आर आर दिनांक 19-11-88 के संदर्भ में।
6. एस एम बी

[सं. सी ए एस/4/20/86-प्रशा. (एस एफ/एम)/एस एम बी
श्री पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

New Delhi, the 29th May, 1989

G.S.R. 441.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in the Bureau of Civil Aviation Security, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bureau of Civil Aviation Security (Technical Assistant) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of any attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years to Service admissible under rule 30 of the Central) Civil Service (Pension Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Technical Assistant (Security)	4* (1988) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruit or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made
8	9	10	11	12
Not applicable	Not applicable.	Not applicable	By transfer on deputation Re-employment.	Transfer on Deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400–2300/2600; and (iii) Junior Commissioned Officers of Army Ordnance Corps (Ammunition Technician) or Junior Commissioned Officers of Corps of Engineers (Electrical Trade). (b) Possessing the following educational qualifications and experience; (i) Degree in Chemistry from a recognised University or equivalent; (ii) Experience in Chemical Analysis and tests.

	If a Departmental Promotion Committee exists, what it's composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
For Ex-Servicemen : Transfer on deputation/-re-employment : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transfested to reserve within a period of one year and possessing degree in Chemical analysis and tests shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall not exceed 5 years). (The period of deputation for Junior Commissioned Officers shall ordinarily be 2 years, extendable by one more year with the consent of Ministry of Defence).	Not applicable	Consultation with the Commission not necessary.

[No. CAS/4/20/86—Admn. (STS)/SSV]

O.P. AGGARWAL, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1989

सा. का. नि. 442.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में खान सुरक्षा उपमहानिदेशक (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5क के सामने स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"प्रोन्नति;

ऐसा खान सुरक्षा निदेशक (विद्युत) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या

(ii) जिन्होंने 5100-5700 रुपए वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 4500-5700 रुपए वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव है।

"(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)"

[फाइल सं. ए. 12018/1/86-एम. I/आई एस एच-1]
आर. टी. पांडेय, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 287 तारीख 20 फरवरी, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया:—

(i) सा. का. नि. 610 तारीख 10-6-1981
(ii) सा. का. नि. 237 तारीख 20-2-1982
(iii) सा. का. नि. सं. 416 तारीख 17-4-1982
(iv) सा. का. नि. 562 तारीख 5-6-1982
(v) सा. का. नि. 142 तारीख 29-1-1983
(vi) सा. का. नि. 306 तारीख 24-3-1983
(vii) सा. का. नि. 958 तारीख 28-11-1983
(viii) सा. का. नि. 633 तारीख 6-6-1984
(ix) सा. का. नि. 845 तारीख 17-7-1984
(x) सा. का. नि. 1285 तारीख 1-12-1984
(xi) सा. का. नि. 108 (अ) तारीख 23-2-1987
(xii) सा. का. नि. 439 (अ), तारीख 14-4-1988

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi the 29th May, 1989

G.S.R. 442.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, against serial number 5-A relating to the post of Deputy Director General of Mines Safety (Electrical), in column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Promotion :

Director of Mines Safety (Electrical) with 3 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract) :

Officers in the Central/State Governments/Recognised Research Institutions/Statutory or Autonomous Organisations,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or

(ii) with 2 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5100-5700 or equivalent ; or

(iii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500-5700 or equivalent ; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisaion/department of the Central Government shall not exceed 5 years)".

[F. No. A-12018/1/86-M.I/ISH-I]
R. T. PANDEY, Dy. Secy.

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 287 dated 20th February 1980, and subsequently amended by :—

(i) GSR 610, dated 10-6-1981.
(ii) GSR 237, dated 20-2-1982.
(iii) GSR 416, dated 17-4-1982.
(iv) GSR 562, dated 5-6-1982.
(v) GSR 142, dated 29-1-1983.
(vi) GSR 306, dated 24-3-1983.
(vii) GSR958, dated 28-11-1983.
(viii) GSR 633, dated 6-6-1984.
(ix) GSR 845, dated 17-7-1984.
(x) GSR 1285, dated 1-12-1984.
(xi) GSR 108(E), dated 23-2-1987.